54th

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2023-2024

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Bharat Pumps & Compressors Ltd.

(A Government of India Enterprise)

विषय सूची

03 | बोर्ड के निदेशकगण

04 | निदेशकों का प्रतिवेदन

14 | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

15 | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

25 | संतुलन पत्र

26 | लाभ हानि का विवरण

28 | वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

48 | दस वर्षीय सिंहावलोकन

निदेशक मण्डल

1. श्री के.एस मूर्ति - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (19.05.2021 से)
2. श्री ए.के. दीवान - निदेशक (18.05.2023 से)
3. श्री एस.के. सक्सेना - निदेशक (14.07.2021 से)
4. श्री आई. साई राम - निदेशक (01.09.2022 से)
5. श्री अमित करकेटा - निदेशक (24.12.2023 तक)

श्री इन्द्रसेन सिंह - मुख्य वित्त अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार,
203, एन.पी.ए. आरकेड, द्वितीय तल
23, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइन्स
प्रयागराज- 211001

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक, नैनी, इलाहाबाद

पंजीकृत कार्यालय

नैनी, इलाहाबाद - 211 010 (उत्तर प्रदेश)

बोर्ड के निदेशकगण

श्री के.एस. मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(19.05.2021 से)

श्री ए. के. दीवान
निदेशक
(18.05.2023 से)

श्री एस. के. सक्सेना
निदेशक
(14.07.2021 से)

श्री अमित करकेटा
निदेशक
(24.12.2023 तक)

श्री आई. साई राम
निदेशक
(01.09.2022 से)

श्री इन्द्रसेन सिंह
कम्पनी सचिव

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारीगण

सज्जनो,

आपके निदेशक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रदर्शन की मुख्य बातें:

वर्ष 2020-21 के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने और कुछ देनदारियों को फ्रीज करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी थी। तदनुसार सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं और वर्तमान में कंपनी संचालन नहीं कर रही है। कुछ देनदारियाँ जैसे सरकारी ऋण पर ब्याज को फ्रीज कर दिया गया है,कुछ अतिरिक्त देनदारियाँ बनाई गई थी जैसे वीआरएस/वीएसएस देनदारियाँ, 1997 के वेतन संशोधन बकाया की अतिरिक्त देनदारी आदि। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से कार्य मुक्त कर दिया गया था। आगे 2022-23 के दौरान -

अ -MSTC द्वारा आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से सभी चल संपत्ति और अमूर्त संपत्ति (प्रौद्योगिकी/आईपीआर) बेच दिया गया था ।

ब - फ़ैक्टरी भवन की ज़मीन और स्थायी ढांचा यूपी सरकार को मुफ़्त सौंप दिया गया था।

सी- सरकार के निर्णय के अनुरूप, प्रयागराज स्थित आवासीय फ्लैटों को बुक वैल्यू पर एनएलएमसी (राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम) को हस्तांतरित कर दिया गया था।

डी- ट्रेड प्राप्य जो संग्रहणीय नहीं थे और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ग्राहकों द्वारा कटौती से संबंधित थे को भी बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

वर्ष के दौरान कम्पनी के प्रदर्शन और अन्य वित्तीय पैरामीटर चल रहे संगठन के बराबर तथ्यात्मक स्थिति नहीं दिखा रहे हैं। वर्ष के दौरान कोई परिचालन टर्नओवर और राजस्व नहीं था, लेकिन कंपनी ने एफडी पर ब्याज की कमाई के रूप में कुछ आय अर्जित की है और सीआईएसएफ और आयकर का बकाया/ पुरानी देय राशि का काफी भुगतान किया है। तदनुसार, वर्ष के लिए घाटा (कर के बाद) 46.64 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान घाटा (कर के बाद) 13.43 करोड़ रुपये था। वर्ष 2023-24 के अंत में शुद्ध संपत्ति रु. (-)150.63 करोड़ रुपये के मुकाबले पिछले वर्ष 2022-23 में शुद्ध संपत्ति रु. (-)103.99 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं नीचे संक्षेप में प्रस्तुत की गई हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	निवल कारोबार	0.00	0.00
2.	अन्य आय	3.74	44.44
3.	कुल आय (1+2)	3.74	44.44
4.	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) पीबीटी	(13.27)	27.57
4.	कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) पीएटी	(46.64)	(13.43)
5.	नेट वर्थ	(150.63)	(103.99)

2. लाभांश:

चूंकि कंपनी पहले से ही भारत सरकार की कैबिनेट के दिनांक 9.12.2020 के निर्णय के अनुरूप परिसमापन/बंद करने की प्रक्रिया में है, और घाटे में चल रही है, इसलिए आपके निदेशकों द्वारा लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

3. शेयर पूंजी:

31 मार्च 2024 को कंपनी की जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की गई शेयर पूंजी, 65.00 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के मुकाबले 53.53 करोड़ रुपये थी।

4. ऑर्डर बुक स्थिति:

वर्ष के अंत में ऑर्डर बुक की स्थिति रु. 0.00 करोड़ थी क्योंकि कंपनी ने 2021-22 से ऑर्डर स्वीकार करना बंद कर दिया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल, सरकार के निर्णय के अनुपालन के आलोक में मौजूदा ऑर्डर भी रद्द कर दिए हैं। भारत सरकार के भारी उद्योग

मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने के संबंध में सूचित किया गया था।

5. भविष्य का दृष्टिकोणः

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन के आलोक में, भारत सरकार के, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 को परिचालन बंद करने के संबंध में पत्र के माध्यम से सूचित किया गया, उसके बाद कंपनी ने ऑर्डर स्वीकार करना बंद कर दिया है। वर्तमान में अधिकांश बंद करने की गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और केवल कानूनी मामले, आयकर विभाग से एनओसी और मुंबई में स्थित फ्लैटों को एनएलएमसी में स्थानांतरित करने का मामला लंबित है। इन गतिविधियों के पूरा होने के बाद कंपनी औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी।

6. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के प्रावधानों और ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में संबंधित नियमों (लागू सीमा तक) के अनुसार जानकारी नीचे दी गई हैः

6.1 ऊर्जा का संरक्षणः

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फरवरी 2023 में बिजली काटने और भूमि और स्थायी संरचना को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने के बाद कंपनी पहले ही भौतिक रूप से बंद हो चुकी है।

6.2 प्रौद्योगिकी अवशोषणः

कंपनी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहयोग के माध्यम से निम्नलिखित विश्व के प्रसिद्ध निर्माताओं से प्रौद्योगिकी को अवशोषित किया थाः

क्र.सं.	उत्पाद	सहयोगी
1.	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प्स	पोम्प्स गुड़नार्ड फ्रांस
2.	रेसीप्रोकेटिंग पम्प्स	ऑयल वेल, यू0एस0ए0
3.	रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर्स	न्यूवो पिगनोन, इटली
4.	अमोनिया एण्ड कार्बामेट पम्प्स	यूराका, जर्मनी
5.	सीमेन्टिंग यूनिट्स	बी0जे0 ह्यूजेस, यू0एस0ए0
6.	सकर रॉड पम्प	रोम कन्सल्टेन्ट रोमानिया
7.	उच्च दबाव औद्योगिक गैस सिलेण्डर	शोवा कोआत्सू, जापान

इसके अलावा, कंपनी का संचालन बंद होने के कारण, प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन बाहरी एजेंसी के माध्यम से किया गया और प्रौद्योगिकी को 2022-23 के दौरान एमएसटीसी के माध्यम से मेसर्स केएसबी लिमिटेड को 28.00 करोड़ रुपये+जीएसटी की कीमत पर बेच दिया गया है।

6.3 प्रौद्योगिकी उन्नयन/अधिग्रहण और उत्पाद डिजाइन और विकासः

कंपनी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने और ग्राहकों की संतुष्टि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों के निरंतर उन्नयन और डिजाइन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध थी। हालाँकि, दिसंबर 2020 में कंपनी के बंद होने के निर्णय के कारण, ऐसी गतिविधियों की न तो आवश्यकता थी और न ही 2021-22 के बाद से ऐसा किया गया।

6.4 विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

विदेशी मुद्रा में खर्च और कमाई का विवरण इस प्रकार है-

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
अ.	सी0आई0एफ0 आधार पर गणना किये गये आयात का मूल्य		
	1. कच्चा माल	0.00	0.00
	2. भण्डार एवं कलपुर्जे	0.00	0.00
	3. पूँजीगत सामान	0.00	0.00
ब.	विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय		
	1. अनुरूप अध्ययन	0.00	0.00
	2. यात्रा	0.00	0.00
	3. संविदा	0.00	0.00
	विदेशी मुद्रा प्राप्ति		
	1. परामर्श	0.00	0.00
	2. ब्याज	0.00	0.00
	खर्च किये गये कच्चा माल अवयव, कलपुर्जों एवं भण्डार का मूल्य	0.00	0.00
	1. आयातित	0.00	0.00
	2. स्वदेशी	0.00	0.00

7. पूंजीगत व्ययः

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन के आलोक में, भारत सरकार के, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने के संबंध में सूचित किया गया, जिसके कारण ऐसा व्यय न तो उचित था और न ही 2021-22 के बाद से किया गया है।

8.गुणवत्ता सुधारः

कंपनी को नवीनतम गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001:2015) और व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला (ओएचएसएएस 18001:2007) के लिए मान्यता प्राप्त थी। कास्टिंग, फोर्जिंग और तैयार उत्पाद के क्षेत्र में सुधार से ग्राहकों की गुणवत्ता की आवश्यकता पूरी हो गई थी।

हालाँकि भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन के आलोक में कंपनी के संचालन और बंदी के संबंध में सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक कार्यमुक्त कर दिया गया । ऐसे में 2021-22 के बाद से गुणवत्ता विकास के क्षेत्र में और विकास की न तो आवश्यकता थी और न ही किया गया।

9. राजकोष में योगदानः

आपकी कंपनी ने जहां भी लागू हो, जीएसटी के लिए सरकारी खजाने को भुगतान किया है और आयकर के पुराने बकाया रुपये का वर्ष 2023-24 के दौरान 3337 लाख भी भुगतान किया है (पिछले साल का आयकर का बकाया 3192 लाख रुपये का भुगतान किया गया था)।

10. मानव संसाधन विकासः

10.1 कंपनी लोगों की रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन से चिंतित थी जो कॉर्पोरेट रणनीतियों के साथ एकीकृत हैं और संस्कृति, मूल्य, कौशल, प्रेरणा और मानव संसाधन सुनिश्चित करती थी।

हालाँकि भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन के आलोक में कंपनी के संचालन और बंदी के संबंध में सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक कार्यमुक्त कर दिया गया । ऐसे में मानव संसाधन के क्षेत्र में आगे का विकास स्वतः ही रुक गया है।

10.2 सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधः वर्ष 2021-22 के दौरान (12.06.2021 तक यानी वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से सभी कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने की तिथि तक) संगठन में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए थे।

10.3 मानव शक्तिः 31.03.2024 को कर्मचारियों की कुल संख्या शून्य थी (31.03.2021 को सभी कर्मचारियों (140) को जून 2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से कार्यमुक्त कर दिया गया था)। इसके अलावा विभिन्न समापन गतिविधियों को पूरा करने के लिए 4 पूर्व कर्मचारियों जिनको वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से कार्यमुक्त किया गया था और दिल्ली में एक विशेषज्ञ पेशेवर 31.03.2024 तक सलाहकार/संविदा कर्मचारी के रूप में अभी भी जारी है।

11. प्रशिक्षणः सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक कार्यमुक्त कर दिया गया है ऐसे में 2021-22 से इस क्षेत्र में आगे का विकास स्वतः ही रुक गया है।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/ विकलांग व्यक्तिः

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सरकारी निर्देशों का कंपनी बंद होने/सभी कर्मचारियों के अलग होने तक अनुपालन किया जा रहा था।

13. राजभाषाः

वर्ष 2020-21 के दौरान 12.06.2021 (कंपनी बंद होने के कारण सभी कर्मचारियों की कार्यमुक्ति/पृथक्करण की तिथि) तक, राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम और विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी ढंग से और सख्ती से लागू करके हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास जारी रखे गए। शासन से मिले निर्देश समय-समय पर भारत के. सभी महत्वपूर्ण परिपत्र एवं विज्ञापन हिन्दी में भी जारी किये गये। हालाँकि 2021-22 से इस क्षेत्र में आगे का विकास स्वतः ही रुक गया है।

14. सूचना का अधिकार (आरटीआई):

बीपीसीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू किया है और एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। साल के दौरान, सभी प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की गई और उचित उत्तर दिए गए।

15. कर्मचारियों का विवरणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसे कोई कर्मचारी नहीं थे जिनका विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) के नियम 5(2) और 5(3) के तहत दिया जाना आवश्यक है।)।

16. सावधि जमाः

सावधि जमाः कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत जनता से जमा आमंत्रित नहीं किया है।

17. प्रदूषण और पर्यावरणः

प्रदूषण और पर्यावरणः वर्ष 2021-22 में संयंत्र बंद होने तक जहां भी आवश्यक था, नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के बाद वायु जल/ध्वनि प्रदूषण के निर्वहन के लिए वैधानिक आवश्यकता को वैधानिक अनुमेय सीमा के भीतर बनाए रखा गया था। प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए, कंपनी में समय-समय पर कई वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किए गए। हालाँकि, कंपनी का संचालन बंद होने के कारण 2021-22 के बाद से ऐसी सभी गतिविधियाँ न तो उचित थीं और न ही की गईं।

18. सतर्कताः

कंपनी का सतर्कता विभाग पारदर्शी और सरलीकृत प्रक्रियाओं को शुरू करके सीवीसी दिशानिर्देशों के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करके कंपनी में सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध था। भ्रष्ट आचरण को नियंत्रित करने और रोकने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण को प्रभावी बनाया गया था । निवारक सतर्कता उपायों के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। जांच के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रबंधन को आवश्यक अनुशंसाएं की गयीं। कंपनी की खरीद नीति में सुधार और निविदा/खरीद गतिविधियों में पारदर्शिता पिछले वर्षों में सतर्कता विभाग का फोकस बिंदु रही है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सीवीसी/सरकार को सामान्य रिपोर्टिंग के अलावा कोई भी नियमित सतर्कता गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गईं क्योंकि कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है। हालाँकि अतिरिक्त प्रभार वाला एक अंशकालिक सी वी ओ की सेवा अभी जारी है।

19. सुरक्षाः

नवंबर 2022 तक कंपनी की सुरक्षा का प्रबंधन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा था और उसके बाद सुरक्षा निजी एजेंसी को सौंप दी गई थी। हालाँकि सभी चल संपत्तियों को हटाने के बाद भूमि और संयंत्र की स्थायी संरचना 28.02.2023 को यूपी सरकार को सौंप दी गई और तदनुसार कंपनी द्वारा सुरक्षा सेवाएं वापस ले ली गई । ऐसे में सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अब यूपी सरकार की है। वर्ष के दौरान चोरी/हानि/क्षति का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

20. कंपनी की बंद गतिविधि की स्थिति-वर्तमान परिदृश्यः

केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 09.12.2020 को हुई अपनी बैठक में संयंत्र के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। भरी ऊद्योग मंत्रालय ने पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से भारत सरकार के उक्त निर्णय की जानकारी दी थी। इस संबंध में, निम्नलिखित समापन गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं/प्रक्रिया के तहत हैं-

ए- कंपनी का परिचालन बंद कर दिया गया है।

बी- कंपनी के सभी कर्मचारियों को 12 जून, 2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा समापन गतिविधियों को पूरा करने के लिए कुछ अधिकारियों को सलाहकार/संविदा कर्मचारियों के रूप में फिर से तैनात किया गया है और उनमें से कुछ को वित्तीय शक्ति दी गई है।

सी- कंपनी को स्वीकृत राशि 316.09 करोड़ रुपये में से मार्च-2021 के अंतिम सप्ताह में 92.55 करोड़ रुपये और जून-2021 के अंतिम सप्ताह में 168.22 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 260.77 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

डी- कर्मचारियों के अधिकांश बकाये का भुगतान पूरा हो चुका है, केवल कुछ कर्मचारियों का भुगतान, जो नामांकन विवाद/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि के कारण लंबित है।

इ- विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के बकाए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और विवादित/लावारिस बकाए की समायोजन गतिविधियाँ भी की जा चुकी हैं और शेष राशि को बही समायोजन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

एफ- वर्ष 2022-23 के दौरान नैनी/इलाहाबाद स्थित सभी चल संपत्तियों और प्रौद्योगिकी की एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी पूरी हो चुकी है और उसका भौतिक निष्कासन भी पूरा हो चुका है।

जी- वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी चल संपत्तियों की बिक्री और उठान के बाद, कंपनी ने भूमि और स्थायी संरचना को यूपी सरकार को 28.02.2023 (भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड की भूमि और स्थायी संरचना को सौंपने के ज्ञापन के माध्यम से (संदर्भ संख्या 959/ एसआईडीए/ एसआर.एम. (सी)/ सीडी-9/ प्रयागराज दिनांक 28.02.2023) सौंप दिया है।

वर्तमान में अधिकांश बंद करने की गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और केवल कानूनी मामले, आयकर विभाग से एनओसी और मुंबई में स्थित फ्लैटों को एन एल एम सी में स्थानांतरित करने का मामला लंबित है।

कंपनी इन बची हुयी समापन गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि अंतिम गतिविधियां (कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटाना/समाप्त करना) जल्द से जल्द किया जा सके।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वः

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन के आलोक में, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने के संबंध में सूचित किया गया, तदनुसार ऐसी गतिविधियों जो 2021-22 के बाद से न तो उचित थीं और न ही की गईं।

22.1 लेखा परीक्षकः

मेसर्स नागेंद्र गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इलाहाबाद को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खातों के ऑडिट के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे।

22.2 लेखापरीक्षक की रिपोर्टः

वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खाते पर अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियाँ की हैं। टिप्पणियों पर आपके निदेशकों के उत्तर नीचे दिए गए हैंः

अंकेक्षक की टिप्पणी रिपोर्ट की संबन्धित सं.	प्रबन्धन का जवाब
(ए)	कंपनी ने पहले ही सरकार के ऋण पर ब्याज का प्रावधान न करने से संबंधित तथ्यों का खुलासा नोट संख्या 29 (iv) के माध्यम से कर दिया है। यह भारत सरकार के पत्र दिनांक – 17.12.2020 के निर्णय के अनुपालन के आलोक में किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 31-03-2020 तक सरकारी ऋण पर ब्याज को रोक दिया जाएगा।
(बी)	जहां तक संभव हो, लंबित मामलों का परिमाणीकरण पहले ही किया जा चुका है।

23. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँः

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट नहीं करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अधिसूचना संलग्न है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने कंपनी के वित्तीय विवरण का पूरक ऑडिट नहीं करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, उन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक की पेशकश नहीं की है।

24. जोखिम प्रबंधनः

कंपनी योजना के दौरान हमेशा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन कर रही थी। पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद था और समय-समय पर ऐसे नियंत्रणों की समीक्षा की जाती थी। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य (कंपनी के बंद होने) में जोखिम प्रबंधन का दायरा केवल सीमित क्षेत्रों में है और इसे पिछली पद्धति/दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।

25. वार्षिक विवरणी का उद्धरणः

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के तहत आवश्यक है, वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिटर्न का उद्धरण संलग्न है।

26. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

श्री के एस मूर्ति, (पूर्व में जीएम/ईडी) और वर्तमान में सीएमडी, बीएचईएल ने 19.05.2021 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार श्री सुनील पारवानी ईडी, बीएचईएल के स्थान पर संभाला है।

श्री अरुण कुमार दीवान, संयुक्त निदेशक एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय), को भारत सरकार द्वारा बीपीसीएल के बोर्ड में दिनांक 18.05.2023 से नामित निदेशक के रूप में श्री रमाकांत सिंह निदेशक एमएचआई के स्थान पर अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है।

श्री सुनील कुमार सक्सेना, कार्यकारी निदेशक ईआईएल को 14.07.2021 को श्री आर के त्रिवेदी के स्थान पर नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अमित केरकेट्टा जीएम, बीएचईएल को 09.08.2021 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह बीएचईएल से सेवानिवृत्ति के बाद 24.12.2023 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

श्री साई राम इरुकुवज्जुला ईडी (सीटीएस), ओएनजीसी को 01.09.2022 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

26.03.2016 से बीपीसीएल के बोर्ड में किसी भी गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है।

27. कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्टः

27.1 बीपीसीएल अपने विभिन्न हितधारकों के विश्वास के निर्माण में विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित ठोस कॉर्पोरेट प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है। बीपीसीएल सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार सभी हितधारकों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार बनाए रख रहा है।

27.2 निदेशक मंडल- डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल की संरचना के लिए, कंपनी ने अपने बोर्ड में तीन अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए एमएचआई से अनुरोध किया था। तदनुसार दो गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को दिनांक 26.03.2013 से नियुक्त किया गया था। जिनका कार्यकाल 26.3.2016 को पूरा हो चुका है तथा इसके बाद गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गयी है।

27.3 कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के लिए लागू व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की औपचारिक संहिता निर्धारित की है।

27.4 वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक की तिथियां इस प्रकार हैंः-

बोर्ड बैठक सं.	बैठक का दिनांक
259	31.05.2023
260	27.09.2023
261	29.12.2023
262	28.03.2024

निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

27.5 लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति -

लेखापरीक्षा समिति एवं पारिश्रमिक समिति- 26.03.2013 को दो गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति पर, 17.05.2013 को तीन सदस्यों की संरचना के साथ लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक को लेखापरीक्षा और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था। इसके अलावा 25.03.2016 को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के बाद उपलब्ध निदेशकों के साथ केवल लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। हालाँकि वर्तमान में कोई ऑडिट और पारिश्रमिक समिति अस्तित्व में नहीं है क्योंकि इसका गठन नहीं किया गया था।

27.6 पिछले तीन वर्षों के लिए शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकें निम्नलिखित विवरण के अनुसार पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गईंः

बैठक सं.	बैठका का दिनांक
51st	23.11.2021
52nd	31.12.2022
53th	18.08.2023

27.7. खुलासे- कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के लागू लेखांकन मानकों / प्रावधानों के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पारिश्रमिक और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण सहित वार्षिक खातों में आवश्यक खुलासे किए हैं।

27.8 संचार के साधन- कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेब साइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संचार करती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी और घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट www.bhartpumps.co.in पर देखा जा सकता है।

28. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरणः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुपालन में, निदेशकों ने वर्ष 2023-24 के वार्षिक खातों के संबंध में निम्नानुसार पुष्टि कीः

क) कि वार्षिक खातों की तैयारी में, भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।

घ) निदेशकों ने कंपनी को बंद करने से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन के लिए कुछ प्रकट विचलन को छोड़कर, चालू उपक्रम के आधार पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार किए थे।

ई) कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किया है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

29. अभिस्वीकृतिः

बोर्ड कंपनी के संचालन को जारी रखने तक संगठन में दिए गए समर्थन और विश्वास के लिए मूल्यवान ग्राहकों को अपना हार्दिक धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय और राज्य सरकार से प्राप्त निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार और सराहना करता है

आपके निदेशक बीएचईएल, ईआईएल और ओएनजीसी से प्राप्त सहयोग और समर्थन के लिए उनका आभार और सराहना व्यक्त करते हैं।

निदेशकों ने वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, वैधानिक लेखा परीक्षकों और बैंकरों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपनी सराहना भी दर्ज करते हैं।

निदेशक इस अवसर पर कंपनी की समापन गतिविधि के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सभी संविदा/सलाहकार कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों और योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि0के
निदेशक मण्डल की ओर से

(के.एस. मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 26.06.2024

स्थान : नई दिल्ली

संलग्नक

वार्षिक विवरण का सारांश

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त में (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अधीन) फार्म नं. एम.जी.टी.-9

I. पंजीयन एवं अन्य विवरण :

निगम परिचय संख्या	**U28991UP1970GOI003577**
पंजीयन तिथि	**01/01/1970**
कम्पनी का नाम	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि0
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	मिर्जापुर रोड, नैनी, इलाहाबाद - 211010 फैक्सः 0532-2687075, वेबसाइट : www.bharatpumps.co.in
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है?	नहीं
पंजीयन/स्थानान्तरण एजेन्ट का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, यदि हो	लागू नहीं

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक कार्य प्रणाली

कम्पनी के कुल व्यवसाय के 10 प्रतिशत से अधिक की व्यावसायिक गतिविधियाँ वर्णित की जायेंगी।

क्र.सं.	**मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण**	**उत्पादों / सेवाओं का कोड**	**कम्पनी के कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिशत**
1	पम्प्स	8413	0
2	कम्प्रेसर्स	8414	0
3	सम्पीड़ित गैस सिलिन्डर्स	7311	0

III. **नियंत्रक सहायक एवं साझेदार कम्पनियों का विवरण**

लागू नहीं

IV. **अंश नियंत्रक नमूना (कुल साम्य की साम्य अंश पूँजी)**

इस समय कुल प्रदत्त पूँजी के समस्त अंश, एक अंश को छोड़कर जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक बी0पी0सी0एल0 के नाम में है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के नामित के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम में है।

अंश धारकों की श्रेणी	**वर्ष के प्रारम्भ में 01.04.2023 को अंशों की संख्या**				**वर्ष के अन्त में 31.03.2024 को अंशों की संख्या**				**वर्ष के दौरान % बदलाव**
अ- भारतीय	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
1. भारत सरकार	-	5,35,299	5,35,299	99.99	-	5,35,299	5,35,299	99.99	-
2. सी.एम.डी.,बी.पी.सी.एल.	-	1	1	00.01	-	1	1	00.01	-
3. कुल	-	5,35,300	5,35,300	100	-	5,35,300	5,35,300	100	-

वार्षिक विवरण का सारांश
(क्रमशः)

V. कर्जदारी

कम्पनी के बकाया ऋण / संभूति एवं अदेय ब्याज

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण (रु. लाख में)	**असुरक्षित ऋण** (रु. लाख में)	**जमा** (रु. लाख में)	**कुल कर्जदारी** (रु. लाख में)
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कर्जदारी				
1- मूल राशि	0.00	11159.00	0.00	11159.00
2- न दिया गया ब्याज	0.00	5270.42	0.00	5270.42
3- संभूति ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	16429.42	0.00	16429.42
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
1- बढ़ोत्तरी	0.00	0.00	0.00	0.00
2- घटाव	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल बदलाव	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय वर्ष के अन्त में कर्जदारी				
1- मूलधन	0.00	11159.00	0.00	11159.00
2- देय किन्तु न दिया गया ब्याज	0.00	5270.42	0.00	5270.42
3- संभूत ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	0.00	16429.42	0.00	16429.42

वर्ष 2023-2024 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

क्रम सं0	निदेशकों के नाम एवं पद	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बोर्ड मीटिंग	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति की कुल संख्या
1.	**श्री के. एस. मूर्ति** अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	04	04
2.	**श्री ए.के. दीवान** निदेशक	04	04
3.	**श्री एस. के. सक्सेना** निदेशक	04	04
4.	**श्री अमित करकेटा** निदेशक	03	02
5.	**श्री आई. साई राम**	04	04

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एंव कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

सत्यमेव जयते

संख्याः एएमजी-III/2(15)/वार्षिक लेखापरीक्षा/
बीपीसीएल(2023-24)/2024-25/76-77
दिनाँकः 25 JUN 2024

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
भारत पंप्स एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड,
फ्लैट संख्या आर 21, 22, चतुर्थ तल,
परिवर्तन अपार्टमेंट, थोर्न्हिल्ल रोड
ऑपोज़िट सैंट एंथनी गर्ल्स इंटर कॉलेज
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211 002

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पंप्स एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पंप्स एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड (Bharat Pumps & Compressors Limited) के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. ए. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

सलग्नक:- यथापार

दूरभाष / Phone : + 91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, Email : pdaica@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ :

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वित्तीय विवरण की तैयारी का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों के लिए अपनी राय हेतु उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह दिनांक 27 मई, 2024 के अपने अंकेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया हैं।

मैने भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143(6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण न करने का निर्णय लिया है।

एस. ए. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.06.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के सदस्यों

एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और उस वर्ष के लिए कैश प्रवाह का विवरण, टिप्पणी और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक नोटों के सारांश (सामूहिक रूप से इसके बाद स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित) भी शामिल है।

रायः

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर (हमारी योग्य राय का संचयी प्रभाव रुपये 2106.24 लाख से हानि कम दर्षित है।), उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम)' द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका घाटा और इसका नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं।

योग्य राय के लिए आधारः

(ए) रु. 2106.24 लाख -सरकार से प्राप्त ऋण की राशि पर ब्याज का प्रावधान न करना ः

हम नोट संख्या 29(iv) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा यह कहा गया है कि वित्तीय विवरण चल रही सतत अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया गया है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के संचालन और बंद करने के लिए दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी है। तदनुसार, कंपनी ने सरकार के ऋण पर ब्याज की राशि रु 2106.24 लाख की देयता का प्रावधान नहीं किया है। इस प्रकार, यह लेखांकन सिद्धांत/उपार्जन अवधारणा का उल्लंघन है।

(बी) आकस्मिक देनदारियों के तहत लंबित अदालती मामलों को परिमानित न करनाः

11 मामलों में से 716.65 लाख रुपये की राशि के 6 मामलों के सिविल सूट के संबंध में आकस्मिक देनदारियों से संबंधित नोट संख्या 29 (xvii) (ए) (1) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। शेष 5 मामलों के लिए कोई परिमाणीकरण नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एएस) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। हमारी रिपोर्ट में उन मानको के तहत स्वतंत्र विवरण आगे दिया गया हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य मामले- गोइंग कंसर्न से सम्बन्धित भौतिक अनिश्चितताः

हम नोट संख्या 29(i),(ii) और (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया गया है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, सरकार ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने और कुछ देनदारियों को फ्रीज करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी है। प्रबंधन से चर्चा के अनुसार, कंपनी का संचालन पहले वर्ष 2021-22 में ही बंद हो चुका है, सभी चल संपत्तियां बिक चुकी हैं, जमीन और स्थायी ढांचा भी उत्तर प्रदेश सरकार को 2022-23 में सौंप दिया गया है। और शेष समापन गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं। तदनुसार, कंपनी को समयबद्ध तरीके से औपचारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। हमारी राय में, कंपनी अब चलायमान संस्था नहीं रह गयी है और हमारी रिपोर्ट उपयुक्त रूप से संशोधित है

एकल वित्तीय विवरण और उसके ऊपर अंकेक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचनाएँ ः कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है, अन्य सूचनाएँ निदेशकों के प्रतिवेदन एवं उनके संलगनक तथा व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट में उल्लिखित रहती हैं परंतु एकल वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षक रिपोर्ट में शामिल नहीं रहती है। हमारे द्वारा वित्तीय विवरण पर व्यक्त किए गए विचार अन्य सूचनाओं को आच्छादित नहीं करती तथा हम अपना पूर्ण आश्वासन भी इसपर व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाओं को उनके उपलब्ध हो जाने के बाद पढ़ें, और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाओं की तुलना में लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञानभौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बयान किय गया है।

हमारे द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यदि अन्य सूचनाओं में कुछ भौतिक रूप से संगत है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारियाँ ः

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में, इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में इस मामले के लिये जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुरूप कम्पनी के

नगदी प्रवाह पर सही और निष्पक्ष राय दें, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं, तथा उन्हे कम्पनी (लेखा) नियम के साथ पढ़ें।

इस दायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप उचित लेखा रिकार्डस का रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान तथा रोकथाम, उचित लेखा नीतियों का चयन और उपयोग, निर्णय एवं आंकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हो और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी रूप से लेखा रिकार्डस की शुद्धता और परिपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरण तैयार करने और इसके प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त था, जो सत्य और निष्पक्ष राय देने में सक्षम हो, तथा जो धोखाधड़ी तथा भूलवश हुए वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त हो, भी शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू चिंता के रूप में कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने परिचालन बंद करने या ऐसा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि हो, अथवा एक ऐसा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन जारी करने में जिसमें, हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भौतिक गलतबयानी के मौजूद होने पर हमेशा ही उसका पता लगाएगी। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में भौतिक माना जाएगा, और समेकित रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की भी यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एस.ए. के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। साथ ही हमः

- वित्तीय विवरणों की सामग्री की गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटियों, उन जोखिमों पर प्रतिक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाते हैं और निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। गलतबयानी से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्वया जबरन आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (I) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता से हो रहा है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता से हो रहा है।
- लेखा से प्राप्त होने वाली चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या किसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो चिंता के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए उपयुक्त है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इससे संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक जारी चिंता के रूप में कार्य करने से रोक सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हो जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता हो।

भौतिकता एकल वित्तीय वक्तव्यों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समेकित रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं;

अन्य मामलों के साथ ही हम, आंतरिक प्रशासन के जिम्मेदार लोगों, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ ही लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय के साथ ही उन, कमियों को शामिल करते हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम प्रशासन में शामिल लोगों को भी एक ऐसा विवरण उपलब्ध करवाते हैं जिसे हमनें स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं, और हमारी उन स्वतंत्रताओं का वहन करने के लिए

उपयुक्त रूप से आवश्यक सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ को तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा यथा अपेक्षित, हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट तथ्यों पर, विवरण पेश करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संबंध में जांच किए जाने वाले क्षेत्रों की विनिर्दिष्ट करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :

ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजना से आवश्यक थे;

बी. हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

सी. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण/(अन्य व्यापक आय सहित), और नकदी प्रवाह विवरण सुसंगत बही खातों के अनुरूप हैं;

डी. हमारी राय में, उपर्युक्त लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरणों में अधिनियम के अंतर्गत जारी सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

ई. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी है। अतएव, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुपालन में अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

एफ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावकारी ऑपरेशन की पर्याप्तता के संबंध में ''अनुलग्नक-ग'' में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें; और

जी. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमः

(1) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी के पास 31 मार्च 2024 तक मुकदमे लंबित हैं जैसा कि नोट संख्या 29 (xvii) (ए) 'आकस्मिक देनदारियों' में बताया गया है, जिसका इसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। .

(2) कंपनी को डेरिवेटिव सहित दीर्घकालिक अनुबंध पर कोई अनुमानित हानि नहीं हुई।

(3) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक, शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

(4) वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए कंपनी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित हो गई है जिसमें ऑडिट ट्रेल को बनाए रखने की सुविधा नहीं है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि0 सं0 003146 सी)

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

दिनांक : 27 मई, 2024
स्थान : प्रयागराज

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स के सदस्यों के लिए स्वतन्त्र अंकेक्षण प्रतिवेदन का संलग्नक 'अ'

(पैराग्राफ 1 में संदर्भित भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर)

हमारे द्वारा मांगी गई और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई पुस्तकों और अभिलेखों के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं किः

(i) संपत्तियों के सम्बन्ध में :

(ए) कंपनी ने मात्रात्मक सहित अचल संपत्तियों का विवरण और स्थितियाँ का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालाँकि मुंबई में स्थित फ्लैटों को छोड़कर सभी अचल संपत्तियाँ पहले ही बिक चुकी हैं;

कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हालाँकि ऐसी सभी संपत्तियाँ बिक चुकी हैं;

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा अचल संपत्तियों का प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था।

(सी) कंपनी के पास मुंबई में स्थित आवासीय फ्लैटों को छोड़कर भूमि और भवन के रूप में कोई अचल संपत्ति नहीं है। हालाँकि, इन फ्लैटों का स्वामित्व विलेख हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(डी) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों (परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का ऐसा कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसमें बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) (ए) कंपनी द्वारा कोई इन्वेंट्री नहीं ली गई है और इस प्रकार वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का कोई भी भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) कंपनी को वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी समय 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है;

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की किताबों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों को कोई निवेश नहीं किया है / गारंटी नहीं दी है / सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण या अग्रिम और सीमित देयता भागीदारी या अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य पक्ष को नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के उप-खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) के प्रावधान लागू नहीं हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की गई है;

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं, जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं;

(v) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी नियम, 2015 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों के संबंध में लागू नहीं हैं।

(vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम 2014 के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा/गतिविधि के लिए संशोधित लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा प्रस्तुत और जांच की गई पुस्तकों और रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, जीएसटी, उपकर और अन्य उचित प्राधिकारियों के पास लागू सीमा तक वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है;

बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर का पुराना बकाया जमा कर दिया है और किसी भी देनदारी को आकस्मिक देनदारियों के रूप में नहीं दिखाया गया है। तदनुसार, 31/03/2024 तक वैधानिक बकाया से संबंधित कोई आकस्मिक देनदारियां मौजूद नहीं हैं।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसे आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix) लिए गए ऋण के संबंध में:

ए) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से गैर योजना ऋण को छोड़कर वित्तीय संस्थान और डिबेंचर धारकों से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। कंपनी ने सरकारी ऋण की पुनर्भुगतान में चूक की है रुपये 16429 लाख के ब्याज सहित. निम्नलिखित विवरण के अनुसार:

(₹ लाख में)

उधार लेने की प्रकृति, ऋण प्रतिभूतियों सहित	ऋणदाता का नाम	देय तिथि पर भुगतान नहीं की गई राशि (लाख रुपये में)	क्या मूलधन या ब्याज (लाख रुपये में)	विलंबित दिनों की संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हो
गैर-योजना ऋण	भारत सरकार	16429	मूलधन - 11159 ब्याज- 5270	देय तिथि- (विलंब 4 वर्ष से 8 वर्ष)	***

*** भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सरकार.के पत्र दिनांक 17/12/2020 के माध्यम से, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में है। रुपये के एकमुश्त अनुदान लिए 316.09 करोड़ रुपये सभी हितधारकों की देनदारियों/ बकाया के निर्वहन के लिये मंजूरी दे दी है और सरकारी ऋण तथा ब्याज 31/03/2020 पर रोक दिया हैतथा यह उल्लेख भी किया की ग्राहकों से वसूली / चल संपत्ति की बिक्री का भुगतान सरकार को मौजूदा देय ऋण और ब्याज की राशि रु. 164.29 करोड़ के खिलाफ किया जाएगा। तथा बचे हुए ऋण और ब्याज, यदि कोई हो, माफ किया जायेगा।

बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;

सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे;

डी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो;

ई) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों

को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है;

एफ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है;

(x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

(xi) ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

बी) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट ऑडिटरों द्वारा कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्रीय सरकार के साथ दायर नहीं की गई है।

सी) लेखापरीक्षक के रूप में, हमें वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(xiii) रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण संबंधित पक्ष लेनदेन को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में विधिवत प्रकट किया गया है।

(xiv) कंपनी ने सरकार के समापन निर्णय (भारत सरकार ने 17/12/2020 को सूचित किया) के अनुपालन में परिचालन बंद करने के कारण आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया है। । वर्ष के दौरान कारोबार शून्य था. इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ग्न) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के तहत निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) ए) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

सी) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

डी) प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) सीआईसी नहीं है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हो रहा है क्योंकि कंपनी पहले से ही बंद होने की प्रक्रिया में है और सरकार के बंद करने के फैसले (भारत सरकार ने 17/12/2020 को सूचित किया) के अनुपालन में पिछले साल से परिचालन बंद कर दिया गया है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों के इस्तीफे का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(xix) हालाँकि, कंपनी भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप बंद/बंद होने की प्रक्रिया में है लेकिन कंपनी बैलेंस

शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर देय जब भी वे देय होती हैं को सरकार से प्राप्त गैर-वापसीयोग्य अनुदान तथा चल संपत्तियों की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त /स्वयं उत्पन्न निधि द्वारा पूरा करने में सक्षम है।

(xx) कंपनी के पास कोई व्यावसायिक संचालन/चालू परियोजनाएं नहीं हैं और कंपनी ने दूसरे के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में खर्च न की गई राशि हस्तांतरित नहीं की हैजो की उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का परंतुक के अनुरूप है ;

(xxi) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि0 सं0 003146 सी)

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

दिनांक : 27 मई, 2024
स्थान : प्रयागराज

भारत पम्पस् एवं कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के संबन्ध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशन पर टिप्पणियाँ।

संलग्नक - 'ब'

क्रम सं0	उप निर्देशन	टिप्पणियाँ
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभाव के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हाँ। कंपनी का लेखा-जोखा कम्प्यूटरीकृत है। सभी लेन-देन अंततः आईटी सिस्टम के माध्यम से किये जा रहे हैं। इस प्रकार, न तो खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का कोई वित्तीय प्रभाव पड़ता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	भारत सरकार के निर्णय के अनुसार. पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में है। सरकार सभी हितधारकों की देनदारियाँ/बकाया के निर्वहन के लिए 316.09 करोड़ रूपये के लिए एक मुश्त अनुदान को मंजूरी दे दी है, और सरकारी ऋण पर ब्याज पर 31.03.2020 तक रोक इस उल्लेख के साथ कि ग्राहकों से वसूली / चल संपत्ति की बिक्री का भुगतान सरकार को ऋण और ब्याज की राशि रु. 164.29 करोड़ के भुगतान करने में किया जाएगा। और सरकार की शेष अवैतनिक राशि ऋण और ब्याज, यदि कोई हो, माफ किया जायेगा । वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार की. ऋण राशि पर ब्याज रुपये 2106.24 लाख का प्रावधान नहीं किया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची।	ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी को ऐसी कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए कोई भी टिप्पणी लागू नहीं होगी।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि0 सं0 003146 सी)

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

दिनांक : 27 मई, 2024
स्थान : प्रयागराज

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उपनिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड के खातों का ऑडिट किया है। और प्रमाणित करते है कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि0 सं0 003146 सी)

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

दिनांक : 27 मई, 2024
स्थान : प्रयागराज

स्वतंत्र लेखा - परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'सी' जो कि सम दिनाँक को भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरण पर है :

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के अनुसार और हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 3 (एफ) के संदर्भ में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमन) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियन्त्रणें पर रिपोर्ट

हमने भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि. के वित्तीय रिर्पोटिंग पर प्रबंधन द्वारा व्यक्तरायों एवं निर्धारित प्रश्नावलियों पर विश्वास किया है, तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल (स्टैण्डअलोन) वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के साथ किया है।

वित्तीय आंतरिक नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी :

कंपनी का प्रबंधन इन्स्टि्टयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी पता लगाना और रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सत्यता और संपूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों का यथासमय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियन्त्रणों की रचना, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। इन्स्टि्टयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा के मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखपरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है, और दोनों इन्स्टि्टयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा-परीक्षा यह आश्वस्त होने के लिए करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया और प्रबंधन किया गया और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिकीय मायनों में प्रभावी रूप से संचालित है

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निश्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर सहमति प्राप्त करना, भौतिकीय कमजोरी होने के जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रचना और प्रभावी संचालन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोखे से हो या त्रुटि से हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल है जो :

(1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की संपत्तियों के संव्यवहारों और प्रबंधनों का उपयुक्त विवरण सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करते हो,

(2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के संबंध में कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण बनाने की अनुमति के लिए अपेक्षित संव्यवहारों को अभिलेखित किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किया जा रहा है, तथा

(3) कंपनी की संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंधन का यथासमय पता लगाने या रोकथाम के संबंध में उपयुक्त आश्वासन

उपलब्ध कराने के लिए, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिकीय प्रभाव डाल सकते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा के कारण सॉठ-गॉठ या अनुचित प्रबंधन से नियंत्रणों का उल्लंघन, गलती या धोखाधड़ी से भौतिकीय गलतबयानी हो सकती है, और पता नहीं चली हो। इसके अलावा, भावी, अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर भ्रष्ट हो सकता है।

राय :

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं स्पष्टीकरण पर विश्वास करते हुए, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 वित्तीय वर्ष में कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया है लेकिन अन्य वित्तीय लेनदेन के सम्बन्ध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। और इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्डों को पूरा किया है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि0 सं0 003146 सी)

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

दिनांक : 27 मई, 2024
स्थान : प्रयागराज

संतुलन - पत्र जैसा कि 31 मार्च, 2024 को

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	जैसा कि 31 मार्च, 2024 को था		जैसा कि 31 मार्च, 2023 को था	
1	2	3		4	
I. साम्य पूँजी और दायितायें					
(1) अंशधारियों की निधियाँ					
(अ) अंश पूँजी	1	5353.10		5353.10	
(ब) सुरक्षित एवं अधिशेष	2	(20415.84)	(15062.74)	(15751.88)	(10398.78)
(2) गैर चालू दायितायें					
(अ) दीर्घ कालिक ऋण	3	0.00		0.00	
(ब) अन्य दीर्घ कालिक दायितायें	4	0.00		0.00	
(स) दीर्घ कालिक प्रावधान	5	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) चालू दायितायें					
(अ) अल्प कालिक ऋण	6	0.00		0.00	
(ब) व्यवसायिक देय		0.00		0.00	
(स) अन्य चालू दायितायें	7	16461.98		18001.50	
(द) अल्प कालिक प्रावधान	8	0.00	16461.98	0.00	18001.50
(4) अस्थगित कर देयताऐं	11		0.00		0.00
	योग		**1399.24**		**7602.72**
II. सम्पत्तियाँ					
(1) गैर चालू सम्पत्तियाँ					
(अ) स्थायी सम्पत्तियाँ	9				
(i) मूर्त सम्पत्तियाँ		6.01		6.29	
(ii) अमूर्त सम्पत्तियाँ		0.00		0.00	
		6.01		6.29	
(अ) गैर चालू निवेश	10	0.00		0.00	
(ब) दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम	12	0.00		0.00	
(स) अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ	13	0.00	6.01	0.00	6.29
(2) चालू सम्पत्तियाँ					
(अ) माल सूची	14	0.00		0.00	
(ब) व्यवसायिक प्राप्य	15	0.00		0.00	
(स) नगद एवं नगद तुल्य	16	1256.13		7459.39	
(द) लघु कालिक ऋण एवं अग्रिम	17	137.10	1393.23	137.04	7596.43
योग			**1399.24**		**7602.72**

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग है।
हमारे सम दिनाँक के प्रतिवेदन के संदर्भित है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

(इन्द्रसेन सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी
तथा कम्पनी सचिव

(ए. के. दीवान)
निदेशक
DIN : 10170576

(के.एस. मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज
दिनांक : 27.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या		समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2023 के लिए
1	2		3		4
(I) **परिचालन से राजस्व :**	18				
निर्मित माल की बिक्री एवं सेवाओ से सकल राजस्व		0.00		0.00	
घटाये : जी.एस.टी.		0.00		0.00	
निर्मित माल की बिक्री एवं सेवाओं से शुद्ध राजस्व		0.00		0.00	
अन्य परिचालित राजस्व		0.00	0.00	0.00	0.00
(II) **अन्य आय**	19		373.57		4444.44
(III) **कुल राजस्व**			373.57		4444.44
(IV) **व्यय :**					
उपयोग किये गये पदार्थों का मूल्य	20		0.00		0.00
निर्मित एवं अर्धनिर्मित सामानों की माल सूची में बदलाव	21		0.00		412.02
कर्मचारी लाभ का खर्च	22		0.00		0.00
वित्तीय लागत			1614.92		10.59
अवमूल्यन एवं परिशोधन खर्च	9		0.28		68.74
अन्य खर्च	23		85.10		1024.51
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना			0.00		171.37
कुल खर्च			**1700.30**		**1687.23**
विशेष और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ			**(1326.73)**		**(5088.65)**
पूर्ववर्ती खर्च एवं असाधारण मद	24		0.00		62.72
कर पूर्व लाभ			**(1326.73)**		**2694.49**
कर खर्च :					
चालू कर		0.00		0.00	
पूर्ववर्ती कर		3337.23		4253.08	
स्थगित कर		0.00	3337.23	(215.62)	4037.46
वर्ष का लाभ			**(4663.96)**		**(1342.97)**
आय प्रति अंश (अंकित मूल्य रू0 1000/- प्रति)					
मौलिक अंश		₹	(871.26)	₹	(250.88)
अमूल्यन एवं परिशोधन अंश		₹	(871.26)	₹	(250.88)

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग है।
हमारे सम दिनाँक के प्रतिवेदन के संदर्भित है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

(इन्द्रसेन सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी
तथा कम्पनी सचिव

(ए. के. दीवान)
निदेशक
DIN : 10170576

(के.एस. मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज
दिनांक : 27.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(अ) कार्य की गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
कर से पूर्व लाभ	(1326.73)	2694.49
समायोजन :-		
अवमूल्यन	0.28	68.74
ब्याज से आय	(303.19)	(268.40)
ब्याज से व्यय	1614.92	10.59
अवमूल्यन प्रतिलेखित	0.00	(8495.41)
कार्य पूँजी बदलाव से पहले संचालित लाभ	**(14.72)**	**(5989.99)**
कार्य पूँजी में बदलाव :		
भण्डारण में बढ़त / घटत	0.00	2521.49
व्यवसायिक प्राप्तियों, ऋण एवं अग्रिम और अन्य सम्पत्तियों में बढ़त / घटत	7.25	317.80
व्यवसायिक देनदारी और अन्य दायिताओं में बढ़त/घटत	(1539.52)	(673.40)
कुल कार्यशील पूँजी बदलाव - घटत / (बढ़त)	(1532.27)	(2165.89)
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद	**(1546.99)**	**(3824.10)**
अदा किया गया कर	3367.55	4359.86
समायोजित कर	0.00	1139.16
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद (अ)	**(4914.54)**	**(7044.80)**
(ब) निवेश की गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय एवं अस्थगित आय व्यय	0.00	0.00
प्राप्त ब्याज	326.20	337.47
निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ बहाव (ब)	**326.20**	**337.47**
(स) वित्त प्रबन्धन गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
अंश पूँजी में बढ़त / (घटत)	0.00	0.00
प्रावधानों से बढ़त / (घटत)	0.00	0.00
सुरक्षित एवं अतिरिक्त में बढ़त / (घटत)	0.00	(13.54)
लम्बे समय के कर्ज एवं अग्रिम में (बढ़त)/घटत	0.00	0.00
लम्बे अवधि की दायित्वों में बढ़त/(घटत)	0.00	0.00
अदा किया गया ब्याज	(1614.92)	(10.59)
लघु अवधि ऋण का पुनः भुगतान	0.00	10548.01
अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	0.00	0.00
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगद (स)	**(1614.92)**	**10523.88**
नकद एवं नकद पर्यायों मे निवल वृद्धि (अ+ब+स)	(6203.26)	3816.55
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद पर्याप्य	7459.39	3642.84
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद पर्याय	**1256.13**	**7459.39**

टिप्पणी :

1. नकद एवं नकद पर्यायों के अवयव :		
नकद एवं बैंक अवशेष	39.25	299.33
अल्पकालीन विनयोग (फिक्स्ड/सावधि जमा)	1216.88	7160.06
आरक्षित ऋण (नकद साख)	0.00	0.00
नकद एवं नकद पर्याय	**1256.13**	**7459.39**
विनिमय दर भिन्नता का प्रभाव	**0.00**	**0.00**
नकद एवं नकद पर्याय जैसा कि ऊपर वर्णित है	**1256.13**	**7459.39**

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े नकारात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते है)

2. **रोकड़ प्रवाह विवरण को बनाने में उपयोग की गयी विधि लोखांकन मानक 3 में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि है।**

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग है।
हमारे सम दिनाँक के प्रतिवेदन के संदर्भित है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

(इन्द्रसेन सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी
तथा कम्पनी सचिव

(ए. के. दीवान)
निदेशक
DIN : 10170576

(के.एस. मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज
दिनांक : 27.05.2024

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
(1) अंश पूँजी		
अधिकृत पूँजी ₹ 1000 के प्रत्येक अंश के रूप में 6,50,000 साम्य अंश (विगत वर्ष ₹ 1000/- मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप के प्रत्येक अंश के रूप में ₹ 6,50,000 साम्य अंश)	6500.00	6500.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी : 1000 मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप में पूर्ण रूपेण अदा किये गये 535310 साम्य अंश (विगत वर्ष ₹ 1,000 मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप में कुल 535310 साम्य अंश)	5353.10	5353.10
उपरोक्त में से 1588 साम्य अंश भारत सरकार द्वारा कम्पनी पर स्थापना से पूर्व किये गये व्यय के लिए आवंटित किये गये है। उपरोक्त में ₹ 1000 के प्रत्येक के रूप में पूर्ण रूपेण अदा किये गये 535309 साम्य अंश माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा नामित के पास है। (विगत वर्ष के 535309 साम्य अंश माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा नामित के पास थे।) कम्पनी के पास 1000 रूपये के सममूल्य के समता अंश के एक ही श्रेणी के अंश है। इन अंशों का स्तर मतदान एवं लाभाँश भुगतान में प्रथम वरीयता का माना जाता है भारत के राष्ट्रपति ही एक मात्र अंशधारी है। जिनके पास कुल अंशों के 5% से ज्यादा अंश हैं।	5353.10	5353.10

	जैसा कि 31.03.2024 को था		जैसा कि 31.03.2023 को था	
(2) आरक्षित एवं अधिशेष :				
आरक्षित पूँजी				
वर्ष के प्रारम्भ में :	29065.16		29078.70	
जोड़ा गया	0.00		0.00	
घटाया गया	0.00		13.54	
वर्ष के अन्त में		29065.16		29065.16
लाभ-हानि के विवरण में अधिशेष :				
वर्ष के प्रारम्भ में	(44817.04)		(43474.07)	
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	(4663.96)		(1342.97)	
वर्ष के अन्त में		(49481.00)		(44817.04)
योग :		(20415.84)		(15751.88)

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
(3)दीर्घ कालिक ऋण :		
सम्बन्धित पक्ष से ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00
सुरक्षित		
भारत सरकार से ऋण (असुरक्षित)	0.00	0.00
योग:	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी :

(1) भारत सरकार से गैर योजनागत ऋण रू. 11159.00 लाख 2015-16 में प्राप्त हुआ था जो कि 5 किस्तों में देय था। तद्नुसार सभी किस्तें देय हो चुकी है लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है। लेखांकन नियम के तहत उन्हें अल्पकानीन देयताओं में शामिल कर लिया गया है।

(2) दीर्घ कालिक ऋणों का परिपक्वता सारणी का संक्षेप निम्न है :

	2023-24 भारत सरकार से ऋण	2022-23 भारत सरकार से ऋण
ऋणों का भुगतान		
प्रथम वर्ष में (टिप्पणी संख्या-7)	11159.00	11159.00
दीर्घ कालिक ऋण का चालू परिपक्वता	11159.00	11159.00
द्वितीय वर्ष में	0.00	0.00
तीसरे से पाँचवें वर्ष में	0.00	0.00
पाँच वर्ष पश्चात	0.00	0.00
दीर्घ कालिक ऋण	0.00	0.00

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
(4)अन्य दीर्घ कालिक दायितायें :		
अन्य डिपाज़िट	0.00	0.00
योग:	**0.00**	**0.00**

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
(5) दीर्घ कालिक प्रावधान :		
कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान		
उपदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	0.00	0.00
योग:	**0.00**	**0.00**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(6) अल्प कालिक ऋण :	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
सुरक्षित		
बैंकों से ऋण		
नगद साख सुविधा स्टेट बैंक नैनी द्वारा	0.00	0.00
(नगद साख सुविधा समस्त चालू सम्पत्तियों के दृष्टि बंन्धक द्वारा सुरक्षित हैं)		
अन्य ऋण	0.00	0.00
योग :	**0.00**	**0.00**

(7) अन्य चालू दायितायें :	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
दीर्घ कालिक ऋण की चालू परिपक्वता (टिप्पणी सं0 3)	11159.00	11159.00
ऋण पर उपार्जित ब्याज	5270.42	5270.42
ऋण पर अनुपार्जित ब्याज	0.00	0.00
विभिन्न जमा	0.00	0.03
सांविधिक दायितायें	0.52	11.16
अन्य	32.04	1560.89
योग :	**16461.98**	**18001.50**

(8) अल्प कालिक प्रावधान :	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ का चालू भाग		
उपदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	0.00	0.00
योग :	**0.00**	**0.00**

(9) स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्य ह्रास तथा संक्रामण				शुद्ध खंड	
वास्तविक सम्पत्तियाँ	जैसा कि 31.03.2023 को था	संयोजन	वापसी एवं समायोजन	जैसा कि 31.03.2024 को था	31.03.2023 तक	वर्ष के लिये	वापसी एवं समायोजन पर	31.03.2024 तक	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
भूमि (निर्बन्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अवस्थान तलेक्षण एवं विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सड़के एवं पुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भवन	16.24	0.00	0.00	16.24	9.95	0.28	0.00	10.23	6.01	6.29
जल एवं गन्दे पानी की निकासी एवं जल आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संयंत्र तथा मशीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत साज-समान और प्रतिष्ठापन (कारखाना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत साज-समान और प्रतिष्ठापन कार्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रानिक इक्विपमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्यालय एवं कार्यालय संबंधी अन्य विविध उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फर्नीचर एवं स्थिर वस्तुयें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दूरभाष केन्द्र तथा फैक्स मशीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पैटर्न एवं डाई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	16.24	0.00	0.00	16.24	9.95	0.28	0.00	10.23	6.01	6.29
विगत वर्ष	10473.63	0.00	10457.39	16.24	8348.49	68.62	8407.16	9.95	6.29	2125.14
अमूर्त्त सम्पत्तियाँ :										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
विगत वर्ष	90.62	0.00	90.62	0.00	88.13	0.12	88.25	0.00	0.00	0.00
महायोग :	**16.24**	**0.00**	**0.00**	**16.24**	**9.95**	**0.28**	**0.00**	**10.23**	**6.01**	**6.29**
विगत वर्ष	10564.25	0.00	10548.01	16.24	8436.62	68.74	8495.41	9.95	6.29	2127.47

टिप्पणियाँ :

(₹ लाख में)

(1) लाभ और हानि लेखा विवरण में लगाये गये अवमूल्यन एवं शेष का ब्यौरा :	2023-24	2022-23
(अ) वास्तविक परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन जैसा कि ऊपर लिखित है	0.28	68.62
(ब) अमूर्त्त परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन जैसा कि ऊपर लिखित है	0.00	0.12
* (स) फुटकर परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन	0.00	0.00
(द) खुले औजारों पर लगाया गया अवमूल्यन	0.00	0.00
योग :	**0.28**	**68.74**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(10) गैर चालू निवेश :

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
क्रिसेन्ट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में ₹ 50/- प्रति के पूर्ण प्रदत्त पाँच अंश लागत मूल्य पर (अनुदघृत)	0.00	0.00
योग :	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी : कुल ₹ 250/- मूल्य के निवेश (विगत वर्ष ₹ 250/-) यह व्यय लाख रूपये से कम होने के कारण यहाँ 0.00 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

(11) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) :

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
आस्थगित कर परिसम्मपत्तियाँ:		
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
उपदान	0.00	0.00
अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.00
भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान	0.00	0.00
	0.00	0.00
आस्थगित कर दायितायें :		
स्थायी परिसम्पत्तियों पर राजकीय कर भत्ता	0.00	0.00
	0.00	0.00
योग (शुद्ध) :	**0.00**	**0.00**

नोट :- चूँकि कर योग्य आय की कोई सम्भावना नहीं है तथा कम्पनी बंद हो गयी है। और सभी अचल सम्पत्तियाँ 2022-23 में बेची जा चुंकी है। स्थगित कर सम्पत्तियों एवं दायित्वों के गणना की कोई आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार AS-22 के अनुरूप स्थगित कर सम्पत्तियों का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(12) दीर्घ कालिक ऋण एवं :

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
पूँजीगत अग्रिम		
असुरक्षित अच्छे समझे गये	0.00	0.00
धरोहर (डिपॉजिट)		
असुरक्षित अच्छे समझे गये	0.00	0.00
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
असुरक्षित अच्छे समझे गये	0.00	0.00
अग्रिम कर (प्रावधान का शुद्ध)	0.00	0.00
योग :	**0.00**	**0.00**

(13) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ :

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
धरोहर (डिपॉजिट) पर उपार्जित ब्याज	0.00	**0.00**
योग :	**0.00**	**0.00**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

		जैसा कि 31.03.2024 को था		जैसा कि 31.03.2023 को था
(14) माल सूची :				
(जैसा कि प्रबन्धन द्वारा इसे मूल्यॉकित और प्रमाणित करके प्रस्तुत किया है)				
कच्चा माल (लागत मूल्य पर)		0.00		0.00
अर्धनिर्मित कार्य (लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)				
पम्प्स एवं कम्प्रेसर्स	0.00		0.00	
गैस सिलेण्डर्स	0.00	0.00	0.00	0.00
तैयार माल (निर्मित) :				
(लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)				
पम्प्स एवं कम्प्रेसर्स	0.00		0.00	
गैस सिलेण्डर	0.00	0.00	0.00	0.00
भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे (लागत मूल्य पर)		0.00		0.00
खुले औजार (लागत मूल्यपर मूल्य ह्रास घटाने के बाद)		0.00		0.00
अवशिष्ट सामग्री (अनुमानित प्राप्त मूल्य पर)		0.00		0.00
योग :		**0.00**		**0.00**
पारगमन में निम्नलिखित सामान उपरोक्त में सम्मिलित है :				
कच्चा माल		0.00		0.00
भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे		0.00		0.00
योग :		**0.00**		**0.00**

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
(15) व्यवसायिक प्राप्तियाँ :		
बकाया जो भुगतान की तिथि से 6 महीने की अवधि से अधिक बाकी हो (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)	0.00	0.00
अन्य (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)	0.00	0.00
	0.00	0.00
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	0.00	0.00
योग :	**0.00**	**0.00**

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
(16) नगद एवं नगद तुल्य :		
बैंकों में जमा अवशेष		
चालू/बचत/नगद साख खाता	39.25	299.33
सीमान्त धन खाता	0.00	0.00
नगद/डाक टिकटों के रूप में अवशेष	0.00	0.00
अन्य : बैंक में सावधि जमा राशि	1216.88	7160.06
योग :	**1256.13**	**7459.39**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	जैसा कि 31.03.2024 को था	जैसा कि 31.03.2023 को था
(17) अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिम :		
अन्य (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)		
कर्मचारियों को अग्रिम	0.00	0.00
क्रय हेतु अग्रिम	0.00	0.00
स्थायी परिसम्मपत्तियों के क्रय हेतु अग्रिम	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	0.00	0.00
अग्रिम कर (समायोजन के बाद)	137.10	106.78
वाणिज्यिक अग्रिम और वैधानिक/सरकारी प्राधिकरण/ निकायों के पास जमा	0.00	30.26
अन्य जमा	0.00	0.00
योग :	**137.10**	**137.04**

		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(18) प्रचालन से राजस्व :				
सकल राजस्व :				
निर्मित सामानों के बिक्री से		0.00		0.00
सेवाओं की बिक्री से		0.00		0.00
		0.00		0.00
घटाये: उत्पाद शुल्क जी.एस.टी. एवं सेवा कर		0.00		0.00
निर्मित सामानों एवं सेवाओं की बिक्री से शुद्ध राजस्व		0.00		0.00
अन्य प्रचालन राजस्व :				
रद्दी के बिक्री से (सकल)	0.00		0.00	
घटाये : उत्पाद कर/जी.एस.टी.	0.00		0.00	
रद्दी की बिक्री (शुद्ध)	0.00		0.00	
रद्दी भण्डार बढ़त/घटत	0.00	0.00	0.00	0.00
योग :		**0.00**		**0.00**

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(19) अन्य आय :		
ब्याज से आय	303.19	268.40
विनियम दर भिन्नता	0.00	0.00
अन्य गैर प्रचालन आय :		
दायिताएं अपलिखित	7.24	21.97
मूर्त सम्पत्तियों के एक मुश्त बिक्री से लाभ	0.00	539.81
तकनीक विक्रय	0.00	2800.00
विविध आय	63.14	814.26
योग :	**373.57**	**4444.44**
ब्याज आय के अन्तर्गत ब्याज :		
बैंक जमा से	303.19	268.40
अन्य	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(20) उपभोग किये गये सामानों का मूल्य :		
कच्चे माल का उपभोग	0.00	0.00
भण्डार एवं अतिरिक्त कलपुर्जो का उपयोग	0.00	0.00
योग :	**0.00**	**0.00**

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए	
(21) निर्मित तथा अर्धनिर्मित माल की सूचियों में बदलाव :				
उत्पादित तैयार माल (पी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		0.00	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्पादित तैयार माल (जी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		0.00	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्धनिर्मित कार्य (पी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		282.36	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	282.36
अर्धनिर्मित कार्य (जी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		0.00	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		282.36
निर्मित माल पर उत्पाद कर / जी.एस.टी. / बढ़त / घटत		0.00		0.00
योग :		**0.00**		**282.36**

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए	
(22) कर्मचारी लाभ व्यय :				
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक :				
(i) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	0.00		0.00	
(ii) निधियों को योगदान :				
कर्मचारी भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन	0.00		0.00	
कर्मचारी राज्य बीमा	0.00	0.00	0.00	0.00
2. कर्मचारियों का कल्याण :				
(I) कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00		0.00	
(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सामाजिक उपरिव्यय :				
(i) जलपान गृह व्यय (शुद्ध)	0.00		0.00	
(ii) छूट प्राप्त यातायात (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. सेवा निवृत्ति लाभ :				
(i) उपदान	0.00		0.00	
(ii) अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
योग :		**0.00**		**0.00**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए	
(23) अन्य व्यय :				
विद्युत	2.09		41.62	
ईंधन	0.00	2.09	0.00	41.62
मरम्मत एवं रख-रखाव :				
भवन	2.82		7.34	
संयत्र एवं मशीनरी	0.00		0.00	
अन्य	0.17	2.99	0.17	7.51
किराया (शुद्ध)		7.12		0.00
दरों एवं करों का भुगतान		3.59		101.18
बीमा शुल्क		0.00		0.00
		0.00		0.00
लेखा परीक्षकों का भुगतान :				
लेखा परीक्षा शुल्क	0.95		0.95	
अन्य सेवाओं के शुल्क	0.35	1.30	0.35	1.30
छपाई एवं लेखन सामग्री		0.26		1.31
डाक टिकट एवं दूरभाष सेवायें		0.18		1.74
यात्रा एवं वाहन व्यय : घरेलू	2.45		2.06	
- विदेशी	0.00	2.45	0.00	2.06
बैंक प्रभार		0.06		2.24
प्रशिक्षण व्यय		0.00		0.00
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर व्यय		0.00		358.13
विविध देनदार के अलावा बट्टा खाता		0.00		272.55
अन्य प्रशासनिक व्यय		65.06		177.47
मनोरंजन व्यय		0.00		0.43
एम.एस.टी.सी. को ई. निलामी कमीशन		0.00		56.97
योग :		**85.10**		**1024.51**

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए
(24) पूर्ववर्ती खर्च/असाधारण मद :		
पूर्ववर्ती खर्च - ब्याज	0.00	62.72
योग :	**0.00**	**62.72**

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

25. अतिरिक्त विनियामक सूचना :

1. कंपनी के पास ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जिसका शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर न हो।
2. वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी चल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। विगत वर्ष सभी चल संपत्तियां एमएसटीसी के ई-पोर्टल पर नीलामी के माध्यम से बेच दी गई हैं, क्योंकि कंपनी पहले से ही भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में बंद होने की प्रक्रिया में है।
3. कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, के. एम. पी. और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। भारत सरकार के आदेश पर कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है।
4. पूंजी-कार्य-प्रगति (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) 31.03.2024 को शून्य है।
5. विकासाधीन अमूर्त संपत्ति 31.03.2024 तक शून्य है।
6. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है और न ही लंबित है।
7. कंपनी ने 31.03.2024 तक मौजूदा परिसंपत्तियों के बंधक के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। भारत सरकार के आदेश पर कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है।
8. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
9. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है और ऐसी कम्पनियों के साथ कोई संबंध भी नहीं है।
10. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आर.ओ.सी.) के पास भारो की संतुष्टि का कोई भी पंजीकरण वैधानिक अवधि से परे लंबित नहीं है।
11. कंपनी के पास कंपनियों की कोई परत (लेयर्स) नहीं है और तदनुसार कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।
12. अनुपात की गणना के संबंध में (ए) चालू अनुपात, (बी) ऋण-इक्विटी अनुपात, (सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात, (डी) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न, (ई) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात, (एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात, (जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात, (एच) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात, (ग) शुद्ध लाभ अनुपात, (जे) नियोजित पूंजी पर रिटर्न, (के) निवेश पर रिटर्न). यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी का संचालन पिछले वर्ष के दौरान पहले ही बंद हो चुका है और सभी चल संपत्तियों की शेष राशि 31.03.2024 तक शून्य है अतः गणना के परिणाम या तो असामान्य होंगे या अनुपलब्धता के कारण गणना करना संभव नहीं होगा । गणना के लिए संगत आंकड़ों के अभाव के कारण तदनुसार कोई गणना नहीं की गई है।
13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में व्यवस्था की कोई अनुमोदित योजना नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
14. कंपनी को वर्ष 2023-24 के दौरान कोई उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार उपयोग विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

26. महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

यह वित्तीय विवरण एतिहासिक लागत के आधार लेखाँकन सिद्धान्तों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ नियम 7 में वर्णित 2014 में लागू किये गये लेखा मानकों के अनुरूप बनाया गया है। साथ ही साथ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों को जहाँ सम्भव हो अनरवत रूप से अपनाया गया है।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरण बनाते समय, स्वीकार करने योग्य लेखाँकन नीतियों तथा प्रचलित अनुमानों एवं मान्यताओं तथा लेखांकन मानकों को ध्यान में रखा जाता है जिससे सम्बन्धित काल के दौरान कुल आय एवं व्यय की धनराशि सम्पत्ति एवं दायित्वों तथा संदिग्ध दायित्वों का वित्तीय विवरण के तिथि पर स्पष्ट आकलन हो सकें। अनुमानित आकलन एवं वास्तविक निष्पादन के अन्तर यदि कोई होते है तो उनको उसी वर्ष में मान लिया जाता है जिसमें वह परिपक्व होता है।

2.0 स्थायी परिसम्पत्तियां

2.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम्पनी को उपलब्ध करायी गई भूमि का मूल्यांकन तत्कालीन भूमि-अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद कार्यालय के अभिलिखित प्रारम्भिक मूल्यों के अनुसार किया गया है। इस धनराशि को कम्पनी की आरक्षित पूंजी लेखा में यथावत दर्शाया गया है।

2.2 कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को लागत व्यय पर मूल्यांकित किया जाता है,जिसमें उनके निर्माण अवधि के अन्तर्गत व्यय को आवंटन की तिथि से ही इस लेखा में शामिल माना जाता है।

2.3 अन्तर-परियोजना स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त पूंजीगत सामानों का मूल्याँकन कारखाने में उनकी लागत व्यय पर किया जाता है, जिसमें उनका उत्पादन शुल्क भी सम्मिलित रहता है।

2.4 यदि परिसम्पत्तियों का उपयोग शुरू किया जाता है तथा सम्बन्धित ठेकेदार के बिलों का निस्तारण होना रहता है तो ऐसी दशा में पूँजीकरण सर्शत कर दिया जाता है कि आवश्यक समायोजन निस्तारण वर्ष में कर दिया जायेगा।

2.5 निर्धारित परिसम्पत्तियों की लागत व्यय की नियमित पूंजी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त अनुदान राशि एवं सेनवैट/आई.टी.सी. क्रेडिट से तत्संबन्धित परिसम्पत्तियों के कुल लागत व्यय से घटाया जाता है।

2.6 बाद में किये गये खर्चे सम्पत्तियों के मूल्य में तभी जोड़े जाते है जब सम्पत्ति के जीवन काल में पूर्व अनुमाति आयु से ज्यादा वृद्धि होती है।

2.7 जो सम्पत्तियाँ उपयोग के लिए तैयार नहीं हो पाती हैं उनको प्रगतिशील पूँजीगत के तौर पर रखा जाता है।

3.0 अवमूल्यन :

3.1 कम्पनी के स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास एस.एल.एम. आधार एवं सम्पत्ति के जीवनकाल के आधार पर कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची -।। में वर्णित दरों के अनुसार किया जाता है। लेकिन यदि किसी सम्पत्ति के ऐतिहासिक मूल्यों में परिवर्तन होता है तो ह्रास पुनर्निर्धारित अवशेष मूल्य पर उसके बढ़े हुए/बचे हुए/अवशिष्ट जीवन काल के आधार पर किया जाता है।

3.2 वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/विक्रय की गयी परिसम्पत्तियों पर ह्रास प्रो-राटा आधार पर उनके अभिवृद्धि/विक्रय की तिथि से किया जाता है।

3.3 ₹ 5000 से कम मूल्य की सभी परिसम्पत्तियों को क्रय किये जाने वाले वर्ष में राजस्व खर्चे के रूप में अपलिखित कर दिया जाता है।

4.0 विदेशी मुद्रा

4.1 सौदों जिनका ब्यौरा विदेशी मुद्रा में होता है उनका लेखाँकन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर होता है।

4.2 वर्ष के अन्त में रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पर मौद्रिक सौदा का ब्यौरा विनिमय दर द्वारा प्रवर्तित करके दिखाया जाता है।

4.3 विदेश से मँगायी गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित विदेशी विनिमय के अन्तर को सम्पत्ति के निहित लागत में/सम्पत्ति प्रगति पर होने के पूर्व समायोजित कर दिया जाता है। अन्य विनिमय दरों के अन्तरों को पहचाने गये वर्ष के आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

5.0 सम्पत्ति की हानियाँ

किसी सम्पत्ति की हानि तब कहा जाता है जब सम्पत्ति का निहित मूल्य वास्तविक प्राप्य मूल्य से कम होता है। इस तरह की हानि को लाभ हानि खाते में उसी वर्ष लिख लिया जाता है जिस वर्ष यह कमी ज्ञात होती है। पिछले वर्षों में लेखाँकन की गयी हानियों को वापस लाया जा सकता है यदि सम्पत्ति के प्राप्य मूल्य में बढ़ोत्तरी का अनुमान आगे के वर्षों में हो जाय।

6.0 सामग्रियों का मूल्यांकन :

6.1 कच्ची सामग्री, भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जो का मूल्यांकन समय-समय पर उनकी आवधिक माप तौल की भारित औसत लागत विधि से किया जाता है।

6.2 प्रेषण एवं आवक में निरीक्षण के अन्तर्गत कच्चे माल एवं कलपुर्जों और निर्माताओं एवं ठेकेदारों के पास पड़े सामानों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

6.3 कम्पनी द्वारा कम से कम ₹ 500 (पांच सौ रूपये) मूल्य तक के या उससे अधिक मूल्य के खुले औजारों का अवमूल्यन 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है और पाँच सौ रूपये तक की औजारों के अवमूल्यन को सीधे राजस्व में अपलिखित किया जाता है।

6.4 कम्पनी द्वारा निर्मित सामानों के अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन उनके समाहित लागत या उगाही मूल्य में, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। पूँजी कार्य हेतु आन्तरिक रूप में तैयार किये गये सामानों और माल को कारखाने के लागत व्यय पर मूल्यांकित किया जाता है।

6.5 उत्पादित तैयार सामानों का मूल्यांकन यहां समाहित लागत या उगाही मूल्य में, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। तैयार सामानों का उत्पादन स्टाक में प्राप्त आदेशों के आधार पर किया जाता है, उनका मूल्यांकन भी समाहित लागत के आधार पर किया जाता है। तैयार सामानों के मूल्यांकन में उत्पाद शुल्क भी शामिल है।

6.6 रद्दी सामग्री का मूल्यांकन उनके अनुमानित प्राप्य योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।

6.7 चिन्हित बेकार/अतिरिक्त/स्थिर सामग्री के लिए आवश्यक प्रावधान, तकनीकी निर्धारणों के आधार पर किया जाता है ताकि उनकी वर्तमान स्थिति प्रदर्शित हो।

7.0 आय की मान्यता

आय की मान्यता तब की जाती है जब स्वामित्व से सम्बन्धित जोखिम एवं पुरस्कार का हस्तान्तरण हो जाता है। परिचालन से आय में माल एवं सेवाओं का विक्रय, उत्पाद कर, सेवाकर एवं जी.एस.टी. शामिल रहता है। ब्याज के आय की मान्यता समय के अनुपात में तथा प्रचलित दर के आधार पर, अदेय राशि पर गणना करके की जाती है।

8.0 दावे :

8.1 कम्पनी द्वारा :

विक्रय निविदाओं, निर्यात प्रोत्साहनों तथा विविध अन्य प्रकार के प्रोत्साहनों इत्यादि के मूल्य वृद्धि के दावों के निपटानों को कम्पनी द्वारा प्राप्त व्ययता के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, किन्तु आपूर्ति-कर्ताओं द्वारा कम्पनी को मिश्रित क्षति के दावे के रूप में अथवा अर्थदण्ड स्वरूप प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशियों को उनके प्राप्त होने वाले वर्ष की आय माना जाता है।

8.2 कम्पनी के विरूद्ध दावे :

8.2.1 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं आयकर, विक्रय कर इत्यादि से सम्बन्धित लम्बित मसलों के अन्तिम लेखा को उनके किये गये निर्धारण अभिनिश्चय/देनदारी के वर्षों में प्रावधान किया गया।

8.2.2 कम्पनी द्वारा आकस्मिक दायिताओं को लाभ-हानि लेखा विवरण में उनके आंकलन और देय भुगतान वर्षों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9.0 शोध एवं विकास व्यय :

शोध एवं विकास व्यय को लाभ-हानि लेखा विवरण में होने वाले वास्तविक वर्ष के अन्तर्गत ही चार्ज किया जाता है यद्यपि शोध एवं विकास के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय को अन्य स्थायी सम्पत्तियों के व्ययों के समान ही माना जाता है।

10.0 विदेशी विनिमय :

विदेशी मुद्रा में ऋण या आस्थगित भुगतानों का दायित्व विनिमय की उसी दर पर आधारित होता है जो इस दायित्व के प्रस्तुत करने वाले वर्ष की अन्तिम तिथि को प्रभावी होती है। परिणाम स्वरूप किसी भी लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में चार्ज कर लिया जाता है।

11.0 प्रावधान :

11.1 सेवोपहार :

सेवोपहार की धनराशि को नियमानुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुकूल प्राविधानित किया जाता है तथा वर्ष के अन्त में लेखा में उसे मूल्यांकन के आधार पर समाहित किया जाता है।

11.2 अवकाश नकदीकरण :

अवकाश नकदीकरण की धनराशि को नियमानुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुकूल प्राविधानित किया जाता है तथा वर्ष के अन्त में विमाकिक के मूल्यांकन के आधार पर समाहित किया जाता है।

12.0 आय पर कर :

12.1 आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

12.2 दूरदर्शिता को ध्यान में रखने की शर्त पर, समयान्तर होने से, कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के मध्य अन्तर होने से जो कि एक अवधि में प्रारम्भ होती है एवं एक निश्चित अवधि से ज्यादा परिवर्ती अवधि में विपरीत हो सकती है, स्थागित कर मान्य है।

13.0 सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदान का लेखांकन तभी किया जाता है जब उन्हें प्राप्त होने की निश्चितता हो। स्थायी सम्पत्तियों के विरूद्ध प्राप्त अनुदान का निस्तारण लेखांकन नीति सं. 2.5 के आधार पर किया जाता है। व्ययों/हानियों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, आयगत अनुदानों की प्राप्ति की लागत एवं आय के सिद्धान्त से सम्बन्धित अवधि के अनुरूप आय माना जाता है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

27. सम्बन्धित पार्टियों की जानकारियाँ :

लेखाँकन मानक 18 में वर्णित सम्बन्धित पार्टियों की जानकारी के अनुपालन में उनके साथ सम्बन्धित कार्य का ब्योरा निम्नलिखित है :

(अ) मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी0एच0ई0एल0) :

मेसर्स बी0एच0ई0एल0 ने सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रबन्धकीय सहयोग, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रदान करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त बी0एच0ई0एल0 ने बी0पी0सी0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक भी प्रदान किया है।

(ब) मेसर्स ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ0एन0जी0सी0) :

मेसर्स ओ0एन0जी0सी0 ने बी0पी0सी0एल0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक प्रदान किया है।

(स) मेसर्स इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई0आई0एल0) :

मेसर्स इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने बी0पी0सी0एल0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक प्रदान किया है।

साथी सहायक/सहयोगी कम्पनियां :

कम्पनी ने अपनी सहायक/सहयोगी कम्पनियों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किया है :

(₹ लाख में)

	2023-24			2022-23		
	बी.एच.ई.एल.	ओ.एन.जी.सी.	ई.आई.एल	बी.एच.ई.एल.	ओ.एन.जी.सी.	ई.आई.एल
अ. खरीदा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब. बेचा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स. राशि वसूली होनी है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
द. राशि अदा करना है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
य. लिया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
र. अदा किया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ल. बकाया ऋण एवं ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

28. **खण्डवार सूचनायें :**

प्राथमिक खण्ड - व्यवसायिक खण्ड

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए				31.03.2023 समाप्त हुए वर्ष के लिए			
	पम्पस्	कम्प्रेसर्स	गैस सिलेण्डर्स	योग	पम्प्स	कम्प्रेसर्स	गैस सिलेण्डर्स	योग
अ. खण्ड राजस्व								
(i) खण्ड राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्तरभागीय राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) बाहरी राजस्व परिचालन (i-ii)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब. खण्डवार परिणाम								
(i) खण्डवार परिणाम	0.00	0.00	0.00	(15.00)	0.00	0.00	0.00	2952.30
(ii) अनिर्धारित व्यय (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	(1311.73)	0.00	0.00	0.00	(257.81)
(iii) आयकर/एफ.बी.टी./एम.ए.टी./अस्थगित कर	0.00	0.00	0.00	(1326.73)	0.00	0.00	0.00	2694.49
	0.00	0.00	0.00	(3337.23)	0.00	0.00	0.00	(4037.46)
(vi) कर पश्चात लाभ	0.00	0.00	0.00	(4663.96)	0.00	0.00	0.00	(1342.97)
स. सम्पत्ति एवं दायित्सव								
(i) खण्ड सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अनिर्धारित सम्पित्तियाँ	0.00	0.00	0.00	1399.24	0.00	0.00	0.00	7602.72
(iii) कुल सम्पत्ति	0.00	0.00	0.00	1399.24	0.00	0.00	0.00	7602.72
(iv) खण्डवार दायितायें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) अनिर्धारित दायितायें	0.00	0.00	0.00	1399.24	0.00	0.00	0.00	7602.72
(vi) कुल दायितायें	0.00	0.00	0.00	1399.24	0.00	0.00	0.00	7602.72
द. अन्य सूचनायें								
(i) अचल सम्पत्ति अर्जित होने के समय किया गया खर्च (पूँजी कार्य प्रगति सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अवमूल्यन	0.00	0.00	0.00	0.28	40.90	14.58	13.26	68.74
(iii) नकद रहित खर्च (अवमूल्यन के अलावा)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

29. वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँः

(i) **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :**

वित्तीय वर्ष 2019-20 तक, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर चलायमान अवधारणा को लागू करते हुए और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी ए पी पी) के अनुसार तैयार किए गए थे, जिसमें कंपनियों के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के (लेखा) नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक भी शामिल थे। इसके अलावा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स/घोषणाओं , जहां भी लागू हो, पर भी विचार किया गया, जैसा कि कंपनी द्वारा लगातार अपनाया गया था लेकिन वर्ष 2020-21 के बाद से, वित्तीय विवरण चलायमान अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया जा रहा है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी थी।

(ii) भारत सरकार के निर्णय के आलोक में जो कि दिनांक 17.12.2020 के तहत कंपनी को बंद करने के संबंध में था, निम्नलिखित अनुमोदित बिंदुओं पर आवश्यक लेखांकन/ प्रकटीकरण/भुगतान किया हैः-

ए- कंपनी के प्लांट का संचालन बंद कर कंपनी को बंद कर दिया गया।

बी- सभी बकाया देयों के भुगतान के बाद वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से बंद होने के कारण अधिशेष हुए कर्मचारियों को अलग करना।

सी- चूंकि जमीन यूपी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, यह प्रस्तावित है कि भवन एवं संयंत्र की स्थायी संरचना सहित भूमि उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी मूल्य के सौंपी जायेगी।

डी- भारत सरकार द्वारा 316.09 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान करना। कंपनी को प्राप्त धन का उपयोग विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, उनके बकाया वेतन और वैधानिक बकाया का भुगतान, पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी बकाया सहित, 1997 के वेतन संशोधन बकाया, आपूर्तिकर्ताओं के बकाया का भुगतान सहित समापन संबंधी खर्चों के लिए किया जाएगा। ठेकेदार, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान, ब्याज सहित बीएचईएल ऋण का भुगतान, सीआईएसएफ, आयकर और बिक्री कर आदि से संबंधित लंबित अपील का भुगतान भी किया जाएगा।

इ- भारत सरकार के ऋण और अर्जित ब्याज, बिक्री से कंपनी द्वारा चुकाई जाने वाली राशि को छोड़कर, बट्टे खाते में डालना। भारत सरकार का ऋण और अर्जित ब्याज 31.03.2020 तक राशि ब्याज सहित 164.29 करोड़ रुपये (31.03.2020 तक ब्याज पर रोक के साथ) था। उपरोक्त ऋण कंपनी द्वारा सरकार को चुकाया जाएगा। ग्राहकों से प्राप्त राशि, कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री आय और कंपनी के बंद होने से संबंधित सभी देनदारियों को निपटाने के बाद यदि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त बची आय ऋण राशि को पूरी तरह से चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो भुगतान ना की गयी शेष ऋण राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

एफ- कंपनी द्वारा संयंत्र/मशीनरी और चल संपत्तियों का निपटान एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। एमएसटीसी की नियुक्ति की शर्तें डीपीई/सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार होंगी।

तदनुसार, सभी चल संपत्तियों की बिक्री और स्थायी संरचना के साथ भूमि को यूपी सरकार को सौंपने सहित अधिकांश समापन गतिविधियाँ वर्ष 2022-23 के दौरान पूरा हो चुकी है और मुंबई स्थित आवासीय फ्लैटों को छोड़कर सभी चल और अचल अचल संपत्तियों का मूल्य शून्य हो गया है।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 एकड़ भूमि के वास्तविक आवंटन के मुकाबले 295.45 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी। 295.45 एकड़ भूमि के संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया था और मामला 2019-20 तक पत्राचार के अधीन था। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को बंद करने के कारण, पत्र दिनांक 17.12.2020 द्वारा सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया कि भवन और संयंत्र की स्थायी संरचना के साथ भूमि यूपी सरकार को बिना किसी मूल्य के सौंप दी जाएगी। तदनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सभी चल संपत्तियों की बिक्री और उठान के बाद भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड की भूमि और स्थायी संरचना यूपी सरकार को 28.02.2023 को (ज्ञापन संदर्भ संख्या 959/एसआईडीए/एसआर.एम.(सी)/सीडी-9/ प्रयागराज दिनांक 28.02.2023) सौंप दिया है।

(iv) भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदत ऋण पर 31.03.2020 के बाद ब्याज लगाना रोक दिया है। तदनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान (रु. 2106.24 लाख) और पिछले वर्ष 2022-23 (रु. 2011.35 लाख) सरकारी ऋण पर कोई ब्याज प्रावधान नहीं किया गया है।

(v) चूंकि कंपनी के सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से पहले ही मुक्त किया जा चुका है, इसलिए ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के खिलाफ कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। 31.03.2024 को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि वास्तविक गणना के आधार पर किया गया है। इस मद में दर्शायी गयी राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अवैतनिक राशि से संबंधित है जिसे वर्तमान देनदारियों के तहत अलग से रखा गया है। ऐसे में बीमांकिक मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(vi) 31.03.2024 को वर्तमान देनदारियों के उपशीर्षक 'अन्य' के अंतर्गत पड़े आंकड़ों रु 20.74 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित हैं, जहां या तो नामांकित व्यक्ति में विवाद है या देय राशि का दावा करने के लिए कर्मचारियों का पता नहीं चल पा रहा है।

(विगत वर्ष कुल देनदारियों में 1425.51 लाख सेवा निवृत/स्वैच्छिक सेवानिवृत कर्मचारियों के देयों से काटी गयी राशि थी तथा 27.98 लाख एसे कर्मचारियों की थी जहाँ नामांकन विवाद है या वह आदमी मिल नहीं रहा है।)

(vii) वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। कुल अनुदान राशि पिछले वर्ष तक प्राप्त 26077.00 लाख रुपये का वर्ष 2022-23 तक पूर्ण उपयोग किया गया है।

(viii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपनी सेवाओं के लिए बिल जारी किए थे, जिसमें गैर/विलंबित भुगतान के कारण 1413.33 लाख की ब्याज देनदारी शामिल है। पहले, ब्याज राशि के दावे को आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया गया था और कंपनी/एमएचआई द्वारा सीआईएसएफ अधिकारियों/ संबंधित मंत्रालय के साथ ब्याज की छूट के लिए प्रयास किए गए थे। हालाँकि, गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय)-सीआईएसएफ के नियंत्रण विभाग द्वारा अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण, वर्ष के दौरान कुल देनदारियों का भुगतान कर दिया गया है और लाभ हानि खाते में वित्त लागत शीर्षक के तहत दिखाया गया है और तदनुसार इस खाते में देयता शून्य है।

(ix) कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए कोई योजना नहीं है।

(x) पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी की सभी संपत्तियां पहले ही बिक चुकी हैं, इसलिए AS28 - संपत्तियों की क्षति के अनुपालन में मूल्य के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सभी परिसंपत्तियों के परिणामी बिक्री मूल्य का हिसाब पहले ही लगाया जा चुका है और सभी चल संपत्तियां शून्य हो गई हैं।

(xi) 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय 45 दिनों से अधिक के निर्विवाद बकाया के संबंध में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है।

(xii) कंपनी के संचालन को बंद करने और पिछले वर्षों में विविध देनदारों के संग्रह/समायोजन के कारण 31.03.2024 को व्यापार का प्राप्य शेष 0.00 लाख रूपये है (पिछले वर्ष की राशि 0.00 लाख रूपये)।

(xiii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर से संबंधित ब्याज और जुर्माने की 3337.23 लाख रूपये की पुरानी विवादित मांग का हिसाब और भुगतान किया है। यह मांग पीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए कंपनी की अपील को खारिज करने के बाद उठाई गई थी। चूंकि आयकर के भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए इसे लाभ और हानि खाते में पंक्ति के नीचे दिखाया गया है।

(xiv) विगत वर्ष के दौरान, सभी इन्वेंट्री एमएसटीसी के माध्यम से अधिशेष / स्क्रैप के रूप में बेची गई हैं और आवश्यक लेखांकन किया गया है. 31.03.2024 को इन्वेंट्री का मूल्य शून्य है। (विगत वर्ष भी शून्य थी)।

(xv) कंपनी को बंद करने के निर्णय पर विचार करते हुए, सभी दीर्घकालिक देनदारियां और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को अल्पकालिक देनदारी और संपत्ति माना गया है।

(xvi) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, उचित समझ हेतु चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ पुनः समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(₹ in Lacs)

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

	जैसा कि 31.3.2024 को था	जैसा कि 31.3.2023 को था
(xvii) आकस्मिक देयतायें एवं वचनबद्धता :		
(अ)कम्पनी पर दावे जो ऋण नहीं समझे गए :		
(1) दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में	735.53	60.53
(2) सी.आइ.एस.एफ. द्वारा मांगे गये ब्याज की दायितायें	0.00	1413.33
(ब) वचनबद्धतायें : *		
पूंजी व्यय में आपूर्ति के लिये शेष बचे क्रय आदेश करारों की अनुमानित राशि	0.00	0.00

(xviii) सामाजिक कार्यो पर किया गया व्यय :

	2023-24		2022-23	
	कैन्टीन	परिवहन	कैन्टीन	परिवहन
कुल व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
घटायें : कुलआय	0.00	0.00	0.00	0.00
वास्तविक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xix) लेखा मानक-29 के अनुसार प्रावधानों का विवरण :

(₹ लाख में)

क्रम	प्रावधानों का विवरण	01.04.2023 का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजन	वर्ष के दौरान रिवर्स किया गया	31.03.2024 को शेष
1	सेवोपहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अवकाश नगदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पिछले वर्ष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

संक्षिप्त विवरण :

सेवोपहार एवं छुट्टी नगदीकरण : सोद्देश्य प्राप्त होने वाले सेवोपहार एवं अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान वर्ष 2019-20 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बनाये गये थे। वर्ष 2020-21से इसके भुगतान की कोई अनिश्चिता नहीं है। सेवोपहार एवं अवकाश नकदीकरण का प्रावधान वास्तविक गणना के आधार पर किया गया जो कि कम्पनी के बन्द करने के निर्णय पर आधारित है, इन मदों का भुगतान कर दिया गया है। चूँकि सारे कर्मचारी 2021-22 में वी.आर.एस. के माध्यम से सेवानिवृत हो गये तथा उनका भुगतान हो चुका है, सभी अंक शून्य दर्शाये गये है।

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

	2023-2024	2022-2023
(xx) आयातित सामानों का सी.आई.एफ मूल्य :		
कच्ची सामग्री एवं संयंत्रीय पुर्जे	0.00	0.00
(xxi) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय		
(नगद आधार पर)		
समानान्तर अध्ययन हेतु	0.00	0.00
(xxii)निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्यः		
1. सामानों का निर्यात	0.00	0.00
(xxiii)आयातित एवं स्वदेशी सामग्रियों का उपभोग :		
(अ) उपभोग में लायी गई सम्पूर्ण आयातित कच्ची सामग्रियो, कलपुर्जों एवं विभिन्न अवयवों के भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का सम्मिलित मूल्य	0.00	0.00
(ब) उपभोग में लायी गयी सम्पूर्ण स्वदेशी कच्ची सामग्रियों, कलपुर्जों एवं विभिन्न अवयवों के भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का सम्मिलित मूल्य	0.00	0.00
(स) उपभोग में लायी गई समस्त सामग्रियों से प्रतिशत	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xxiv) विक्रय (सकल)

	2023-2024		2022-2023	
	मात्रा (नग में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (नग में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ कम्प्रेसर्स	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	0.00
ब पम्पस्				
1. रेसीप्रोकेटिंग पम्पस्	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	0.00
2 सन्ट्रीफ्यूगल पम्पस्	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	0.00
स गैस सिलिण्डर्स	00 नग	0.00	00 नग	0.00
द स्थापना और अन्य कार्य	-	0.00	-	0.00
योग :		**0.00**		**0.00**

(xxv) उपयोग की गई समस्त प्रकार की कच्ची सामग्रियों और संयेत्रीय कलपुर्जों का पृथक-पृथक विवरणः

	2023-2024		2022-2023	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ स्वदेशी :				
1. स्टील प्लेट्स	-	0.00	-	0.00
2. पम्पस् तथा कम्प्रेसर्स हेतु बाहर से क्रय की गई सामग्री	-	0.00	-	0.00
3. अन्य विविध सामग्रियाँ	-	0.00	-	0.00
योगः		**0.00**		**0.00**
ब आयातित				
1. पम्पस् तथा कम्प्रेसर्स हेतु अवयव*	-	0.00	-	0.00
2. अन्य विविध वस्तु*	-	0.00	-	0.00
योगः		**0.00**		**0.00**
* कुल कच्चे माल तथा अवयव का उपभोग		**0.00**		**0.00**

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xxvi) उत्पादित सामानों का भण्डार :

	2023-24		2022-23	
	अन्तिम शेष भण्डार		आरम्भिक भण्डार	
	मात्रा (नगों में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (नगों में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ. पम्पस् :				
1. सेन्ट्रीफ्यूगल	00 नग	0.00	00 नग	0.00
	(00 नग)	(0.00)	(00 नग)	(0.00)
2. रेसीप्रोकेटिंग	00 नग	0.00	00 नग	0.00
	(00 नग)	(0.00)	(00 नग)	(0.00)
ब. कम्प्रेसर्स				
1. रेसीप्रोकेटिंग	00 नग	0.00	00 नग	0.00
	(00 नग)	0.00	(00 नग)	(0.00)
स. सिलिण्डर्स				
विविध प्रारूपों के	00 नग	0.00	000 नग	0.00
	(00 नग)	0.00	(400 नग)	(34.00)

उप-टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई मात्रा एवं मूल्य विगत वर्ष के आंकड़ों को दर्शाता है।

हमारे सम दिनाँक प्रतिवेदन के संदर्भित है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(पंकज दुबे)
साझीदार
(सदस्य सं0 077578)
UDIN : 24077578BKGSAO2711

(इन्द्रसेन सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी
तथा कम्पनी सचिव

(ए. के. दीवान)
निदेशक
DIN : 10170576

(के.एस. मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज
दिनांक : 27.05.2024

दस वर्षीय सिंहावलोकन

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	उत्पादन का मूल्य	0.00	0.00	968.47	4097.88	6370.40	5456.05	7628.01	7601.12	6967.47	7769.00
2	विक्रय	0.00	0.00	1091.43	4540.05	6572.48	6866.29	7712.20	7490.94	7851.94	10223.49
3	कुल लाभ/(हानि)/(पी.बी.डी.आई.टी.)	288.47	2836.54	2929.47	(1041.34)	1126.15	(394.63)	(1129.33)	(4152.48)	(4696.03)	(3471.56)
4	अवमूल्यन/डी.आर.ई.	0.28	68.74	448.39	453.83	464.28	465.09	478.45	506.04	514.96	704.95
5	ब्याज	1614.92	10.59	469.74	1312.33	2639.44	2675.12	2639.44	1805.25	789.48	599.53
6	(अ) वर्तमान संचालन पर कर के पूर्व लाभ/(हानि)	(1326.73)	2757.21	(5088.65)	(2807.50)	(2011.01)	(3534.84)	(4247.22)	(5411.47)	(5534.76)	(4776.04)
	(ब) (1) प्रावधान	0.00	0.00	0.00	338.89	687.91	306.93	383.02	1725.67	0.00	0.00
	(2) शुद्ध पूर्वाधि समायोजन	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.30	775.78	0.00
	(3) असाधारण मद	0.00	0.00	64.71	5242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	(310.07)	0.00
	(स) कर के पूर्व लाभ/(हानि)	(1326.73)	2694.49	(5153.36)	(8389.07)	(2698.92)	(3841.77)	(4630.24)	(8189.44)	(6000.47)	(4776.04)
7.	कर के लिये प्रावधान	3337.23	4037.46	215.62	0.00	0.00	(493.43)	(238.73)	207.96	1590.06	727.73
8.	कर के पश्चात लाभ (हानि)	(4663.96)	(1342.97)	(5368.98)	(8389.07)	(2698.92)	(3348.34)	(4391.51)	(8397.40)	(7590.53)	(5503.77)
9.	सकल खण्ड	16.24	16.24	10564.25	10564.25	10542.62	10522.31	10507.09	10468.86	10444.77	10435.75
10.	शुद्ध खण्ड	6.01	6.29	2127.47	2563.95	2974.06	3399.27	3825.93	4237.14	4682.91	5145.31
11.	कार्य संचालन पूंजी	(15068.75)	(10405.07)	(10954.12)	(22813.44)	(21810.58)	(16963.61)	(10580.98)	(4478.55)	(3742.10)	1828.49
12.	लगाई गयी पूंजी	(15062.74)	(10398.78)	(8826.65)	(20249.49)	(18836.52)	(13564.34)	(6755.05)	(241.41)	940.81	6973.80
13.	सम्मिलित मूल्य	0.00	0.00	614.48	2623.20	4335.42	3347.90	4802.37	3600.68	3149.45	3754.63
14.	शुद्ध मूल्य	(15062.74)	(10398.78)	(9257.89)	(20495.29)	(21361.22)	(18662.30)	(14820.53)	(10190.29)	(2000.85)	3999.62
15.	वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधायें	0.00	0.00	344.76	2031.76	2476.36	3102.29	4886.92	5958.57	6517.23	6308.84
16.	राजकोष योगदान	3337.23	3192.37	122.96	251.19	651.29	624.42	649.76	380.82	686.66	947.15
17.	आन्तरिक स्रोतो की उत्पत्ति	(4663.68)	(1211.51)	(4640.26)	(2353.67)	(1546.73)	(2576.32)	(3036.61)	(5433.53)	(6861.44)	(4071.09)
18.	निर्यात (माने गये डीम्ड निर्यात सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.33	175.30	976.42	1202.51
19.	कर्मचारियों की संख्या	0	0	0	140	170	218	296	391	523	638
20.	प्रति कर्मचारी जोड़ा गया कुल सम्मिलित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	18.74	25.50	15.36	16.22	9.21	6.02	5.89
21.	मजदूरी के प्रत्येक रूपये में जोड़ा गया सम्मिलित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	1.78	1.29	1.75	1.08	0.98	0.60	0.48	0.60
22.	वास्तविक मूल्य में शुद्ध लाभ/(हानि)	0.31	0.13	0.58	0.41	0.13	0.18	0.30	0.82	3.79	(1.38)
23.	सकल खण्ड से सकल सीमा	28.52	174.66	0.28	(0.10)	0.11	(0.04)	(0.11)	(0.40)	(0.45)	(0.33)
24.	कर्मचारी व्यय से पी.बी.डी.आई.टी.	लागू नहीं	लागू नहीं	8.50	(0.51)	0.45	(0.13)	(0.23)	(0.70)	(0.72)	(0.55)
25.	सकल विक्री से सम्मिलित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	0.56	0.58	0.66	0.49	0.62	0.48	0.40	0.37
26.	लगाई गई पूंजी के प्रति सकल लाभ	(0.02)	(0.27)	(0.33)	0.05	(0.06)	0.03	0.17	17.20	(4.99)	(0.50)
27.	विविध देनदार कुल विक्रय दिवस के रूप में	0.00	0.00	89.00	418.13	387.44	408.50	345.20	363.51	361.14	269.58
28.	उत्पादन दिवस के रूप में सामग्री की उपलब्धता	0.00	0.00	952.91	238.99	182.53	216.25	210.70	231.81	249.38	270.45

टिप्पणी - कोष्ठक में दी गयी राशि नकारात्मक राशि है।

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैनी, इलाहाबाद - 211010 (यू.पी.) भारत
सीआईएन - U28991UP1970GOI003577
ई-मेल : cmd@bharatpumps.co.in

Bharat Pumps & Compressors Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Naini, Allahabad - 211010 (U.P.) India
CIN - U28991UP1970GOI003577
E-mail : cmd@bharatpumps.co.in